रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)- 72 REGISTERED No. D. (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1981/फाल्गुन 9, 1902
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1981/PHALGUNA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/81

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1981

विषय :—डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट से सम्बन्धित लाइसेंस शर्तें ।

मिसिल सं. आई पी सी/23(12)/81.—नीदरलैण्ड सरकार क्रेडिट के अन्तर्गत निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के आयातकों को आयात लाइसेंस जारी करने के संबंध में लागू होने वाले नियम तथा शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

मणि नरायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं.-8-आई टी सी (पी एन)/81 दिनांक 28 फरवरी, 1981 का परिशिष्ट

डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अन्तर्गत लाईसेंस जारी करने के लिए शर्तें

खण्ड-1 सामान्य

1. (1) नीदरलैण्ड्स इन्वेस्टरिंग्स बैंक बूअर आंटविकलिंग्स लेन्डन एन. वी. द्वारा डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट को विकासशील देशों के लिए खोल दिया गया है । तदनुसार इस क्रेडिट के अधीन वित्तयुक्त किए जाने वाले माल एवं पण्य-वस्तुएं एवं इससे सम्बद्ध आनुषंगिक सेवाएं नीदरलैण्ड्स से आयात की जा सकती हैं और माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन सूची में सम्मिलित सभी देश (अनुबन्ध 1-क) इस क्रेडिट के अन्तर्गत ''पात्र स्रोत देश'' होंगे ।

1 (2) किन्तु पात्र से इतर स्रोत देशों से रसायन के सम्बन्ध में 10% की सीमा तक और अन्य आयातों के संबंध में 20% की सीमा तक इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान किए जाने के लिए विचार किया जा सकता है ।

1 (3) इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए पात्र स्रोत देशों से उपर्युक्त खण्ड 1(2) में सांकेतित सीमा से अधिक संभरण को संपूर्ण बनाने के लिए पात्र देशों से भिन्न देशों से माल और सेवाओं के सीमित संभरणों पर भी विचार किया जा सकता है । इसके लिए नीदरलैण्ड्स की सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

1 (4) उन मामलों को छोड़कर जहां पर नीदरलैंड्स आयात के लिए परम्परागत अथवा केवल स्रोत है अथवा जहां पर आयात का मूल्य डीएफएल 1.25 मिलियन से कम है, माल और सेवाएं साधारणतः औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए । लेकिन, अर्हता प्राप्ति से पूर्व संभरकों के लिए निविदाओं के आधार पर भी अधिप्राप्ति अथवा प्रतिबंधित आधार पर निविदा उचित मामलों में भी अनुमेय हैं

इसी प्रकार कुछ मामलों में जहां पर स्वामित्व मदें आदि शामिल हैं, खरीददारी सीधे एक ही संभरक से अनुमेय है चाहे उसका मूल्य डी एफ एल 1.25 मिलियन से अधिक क्यों न हो । इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अधिप्राप्ति मार्ग दर्शन अनुबन्ध-2 में दर्शाए गए हैं ।

1 (5) विश्व निविदाओं के मामले में बोली आमंत्रित करते समय यह आवश्यक होता है कि या तो विज्ञापन भारतीय व्यापार जरनल अथवा भारतीय निर्यात सेवा बुलेटिन में किया गया हो बोली आमंत्रित और निविदा नोटिस की तीन प्रतियां जैसा कि विज्ञापन में दिया गया है नीदरलैंड्स दूतावास शान्ति पथ नई दिल्ली को भेजनी है और उसकी एक प्रति आर्थिक कार्य विभाग को और एक प्रति प्रथम सचिव, भारतीय दूतावास, हेग को भी भेजनी है । बोली के लिए आमंत्रण पत्रों में पात्र स्रोत देशों की सूची होगी - [अनुबन्ध-1 (क) में दी गई है] और उद्गम के लागू नियम बताए जाएंगे [अनुबंध-1 (ख) में] । स्थानीय माल और सेवाओं के लिए न्यूनतम आंकी गई विदेशी बोली के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 15 प्रतिशत तक प्राय: छूट दी जा सकती है बशर्ते कि बोली, दस्तावेज में इस प्रकार की वरीयता के लिए साफ रूप से व्यवस्था की गई हो । यह भी सुनिश्चय किया जाए कि बोली भेजने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि सभी योग्य संभरकों को निविदा दस्तावेज प्राप्त करने और बोलियां लगाने के लिए उचित समय की अनुमति प्रदान करती है । नीदरलैंड्स से योग्य संभरकों को बिक्री के लिए निविदा दस्तावेज भारतीय दूतावास, हेग, नीदरलैंड्स (अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए) को शीघ्र ही उपलब्ध होने चाहिए । अन्य निविदा करने के तरीकों के संबंध में भी ये व्यवस्थाएं अधिक से अधिक सम्भव सीमा तक अपनाई जानी चाहिएं ।

खण्ड 2-आयात लाइसेंस जारी करना

2 (1) आयात लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा । वैध अवधि में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह वैध अवधि के भीतर ही सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित करे जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-3 अनुभाग) से परामर्श करेगा ।

2 (2) पक्के आदेश नीदरलैंड्स में समुद्रपार संभरकों या अनुबंध-1(क) में उल्लिखित देशों को लागत-बीमा-भाड़ा/लागत तथा भाड़ा के आधार पर अवश्य दिए जाने चाहिए और आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से अथवा जहां पर आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमेय हैं, विदेशी मुद्रा जारी होने की तिथि से 4 मास के भीतर ही आर्थिक कार्य विभाग, (ईईसी-3 अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए । यदि पक्का आदेश देने का निर्णय निर्धारित चार मास की अवधि के भीतर नहीं हो पाता है तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह जैसा भी मामला हो, लाइसेंस प्राधिकारी को या अन्य संबंधित प्राधिकारियों को इसका कारण बताते हुए कि क्यों नहीं प्रारंभिक वैध अवधि के भीतर ही आदेश देने का काम पूरा हो सका, इसके औचित्य एवं आख्या के साथ आदेश देने की अवधि में वृद्धि की मांग करने के लिए प्रस्ताव रखें । आदेश देने की ऐसी अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन पर विचार प्रत्येक मामले में पात्रता के आधार पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो और चार मास की अवधि की वृद्धि दे सकते हैं । लेकिन, यदि आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख अथवा विदेशी मुद्रा अनुमोदन से 8 मास से अधिक की वृद्धि की मांग की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा अर्थ कार्य विभाग (ईईसी-3 अनुभाग) वित्त मंत्राला को भेजे जाने चाहिएं ।

2 (3) लाइसेंस पर ''(डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट)'' अंकित होगा और यह उस सार्वजनिक सूचना की संख्या का संकेत करेगा जिसके अन्तर्गत यह लाइसेंस शर्तें जारी की जाती है । प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड ''एस''/''एन एन'' होंगे । इस लाइसेंस कोड का उल्लेख सभी पोतलदान प्रलेखों में होना चाहिए और साथ ही साथ रुपए जमा करते समय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित प्रपत्र ''एस'' में इसका उल्लेख होना चाहिए ।

2 (4) जैसे ही आयातक आयात लाइसेंस प्राप्त करता है उसे चाहिए कि वह इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी के साथ वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ईसी-3 अनुभाग) को एक रिपोर्ट भेजे :—

(1) आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक

(2) मूल्य

(3) यदि कोई हो, तो आयात लाइसेंस में संकेतित मुद्रा विनिमय दर

(4) वह तारीख जिस तक आर्थिक कार्य विभाग की संविदा की प्रतियां भेजने की संभावना है ।

खण्ड-3 संविदा को पूर्ण करना

3 (1) इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए पात्र संविदा का न्यूनतम मूल्य डी एफ एल-25,000 होगा ।

3(2) आयात लाइसेंस के मद्दे एक संविदा की जानी चाहिए । विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा करने के लिए अनुमति दी जाएगी जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख के तुरन्त बाद ही वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए ।

3 (3) खण्ड 2 (2) में उल्लिखित ''पुष्टि आदेश'' शर्त का अर्थ है भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया वह आदेश जो बाद वाले के पुष्टिकरण आदेश द्वारा विधिवत् समर्थित हो या क्रय संविदा जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो । विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं पर आदेश और या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं के पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं हैं ।

3(4) यदि संविदा डच संभरक के साथ की गई तो संविदा के लागत-बीमा-भाड़ा/लागत एवं भाड़ा मूल्य को डच गिल्डर में व्यक्त करना चाहिए और यदि संविदा पात्र स्रोत देशों के संभरकों के साथ की गई हो तो उनको मुद्रा में व्यक्त करना चाहिए ।

3(5) संविदा में भुगतान की व्यवस्था नकद आधार पर होनी चाहिए अर्थात पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर से विदेशी संभरकों, भारतीय आयातकों को किसी भी प्रकार की साख-सुविधा उपलब्ध करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

3(6) संविदा के मूल्य में सम्मिलित भारतीय अभिकर्ता के कमीशन की धनराशि की विशेष रूप से अंकित किया जाना चाहिए । इस संबंध में किसी भी प्रकार का भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा में प्रेषण स्वीकार्य नहीं होगा । लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के भाग के रूप में होंगे और इसलिए लाइसेंस के लिए वसूल किए जाएंगे ।

3 (7) क्रय आदेश और संभरक के पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में ही होने चाहिएं ।

3 (8) संविदा में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए :—

(1) संविदा भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है (यदि संविदा का मूल्य डच गिल्डर्स में 50,000 या इससे कम हो) और यह भारत सरकार तथा नीदरलैण्ड सरकार दोनों के अनुमोदन के अधीन है (यदि संविदा का मूल्य डच गिल्डर्स 50,000 से अधिक हो जाता है) ।

(2) यह संविदा डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के लिए लाइसेंस शर्तों के अन्तर्गत दी गई भुगतान क्रियाविधि द्वारा संचालित होगी और इस संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही यह प्रभावी होगी ।

(3) "माल डच मूल/विनिर्माण के हैं" (नीदरलैण्ड्स में संभरकों के मामले में)

या

"माल - - - - - - - - मूल/विनिर्माण के हैं" (पात्र स्रोत देशों के संभरकों के मामले में)

(4) नीदरलैण्ड्स से आयात किए जाने वाले माल के लिए संभरकों को नीदरलैण्ड्स पूंजी निवेशक बैंक को उस जिले के नीदरलैण्ड्स वाणिज्य मण्डल द्वारा जिसमें संभरक स्थापित है, जारी किया गया/प्रमाणित किया हुआ इस बारे में एक प्रमाणपत्र (निर्धारित-प्रपत्र में) दो प्रतियों में देना पड़ेगा कि माल नीदरलैण्ड्स मूल का है । यह प्रमाण-पत्र भुगतान प्राप्ति करते समय अन्य पोत-लदान दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रमाण-पत्र का एक नमूना अनुबन्ध-3 में दिया गया है । पात्र स्रोत देशों के संभरकों के मामले में संभरकों को "माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन [अनुबन्ध-1 (ख)]" में दिए गए उद्गम नियमों के अनुसार नीदरलैण्ड्स पूंजी निवेशक बैंक को माल के उद्गम का प्रमाण-पत्र देना पड़ेगा ।

3 (9) जहां प्रथागत निष्पादन गारंटी अपेक्षित हो वहां संभरकों से बैंक गारन्टी को प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए ।

खण्ड-4 भारत सरकार/नीदरलैण्ड्स पूंजी निवेशक बैंक द्वारा संविदा का अनुमोदन

4(1) (क) संविदापूर्ण होने के तुरन्त बाद ही आयातकों को आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति के साथ संविदा/संभरण आदेश की 5 फोटो या प्रमाणित प्रतियां वाणिज्य मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-3 अनुभाग) को भेजनी चाहिए । पात्रस्रोत देशों के संभरकों के साथ पूर्ण की गई संविदाओं के मामलों में उसकी 8 प्रतियां भेजी जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त आयातक के लिए अनुबन्ध-4 में उल्लिखित सूचना भी भेजना आवश्यक है ।

(ख) नीदरलैण्ड्स से आयातों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और सरकारी विभाग से भिन्न कम्पनियों तथा संस्थाओं के साथ की गई संविदाओं के मामले में आयातकों को स्टाम्प समाहर्ता द्वारा विधिवत् न्याय निर्णीत निर्धारित प्रपत्र में (अनुबंध-5 अनुमोदित बैंक से एक बैंक गारटी भेजनी चाहिए । बैंक गारंटी संविदा की धनराशि के समतुल रुपये को दर्शाते हुए ब्याज और अन्य प्रभारो सहित उस धनराशि के लिए होनी चाहिए जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है परिवर्तन की दर आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि को प्रचलित राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा अधिसूचित विनिमय दर होगी ।

4(2) जब संभरक संविदा औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली या औपचारिक चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय बोली पर आधारित हो तब निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत की जानी चाहिए :—

(1) उस प्रकाशन का नाम जिसमें निविदा सूचना विज्ञप्त की गई थी ।

(2) उन पार्टियों के नाम जिन्होंने निविदा पूछताछ के मद्दे कोट किया है ।

(3) विशिष्ट प्रस्ताव को चुनने के लिए कारण और यह भी बताया जाए कि आया कि यह न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त बोली थी ।

4(3) यह संविदा दस्तावेज, प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदक आयात लाइसेंस और बैंक गारंटी जहां आवश्यक हो, सही पाए जाते हैं तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग संविदा की प्रतियों को हेग में भारत के राजदूतावास के माध्यम से डच प्राधिकारियों को अनुमोदन के लिए भेजेगा ।

4(4) (क) 50,000 डच गिल्डर या इससे कम मूल्य की संविदाओं के संबंध में डच प्राधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है । भारत सरकार के अनुमोदन के बारे में भारतीय आयातक को उनकी संविदा संभरण आदेश की प्रतिया डच प्राधिकारियों को भेजते समय बता दिया जाएगा ।

(ख) 50,000 डच गिल्डर से अधिक संविदाओं के लिए, जैसे ही डच क्रेडिट के अन्तर्गत डच प्राधिकारियों द्वारा संविदा के वित्तदान के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, आयातक को यह सूचित कर दिया जाएगा कि उनकी संविदा प्रभावी हो गई है ।

खण्ड-5 संभरकों को भुगतान

(क) नीदरलैण्ड्स के संभरकों को भुगतान

5(1) विकासशील देशों के लिए नीदरलैण्ड्स पूंजी निवेशक बैंक, दि हेग को एक प्राधिकार-पत्र (अनुबन्ध-6 के रूप में) हेग में भारत के राजदूतावास के माध्यम से पोतलदान दस्तावेज के मद्दे संभरकों के लिए भुगतान को प्राधिकृत करते हुए जारी किया जाएगा और संविदा आदि की प्रतियों के साथ उसे डच प्राधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा ।

5(2) प्राधिकार-पत्र की वैधता का सुनिश्चित संविदा में निर्दिष्ट वितरण अनुसूची को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । किसी भी मामले में प्राधिकार पत्र, आयात लाइसेंस की वैधता के बाद वैध नहीं होगा ।

5(3) चूंकि क्रेडिट के अन्तर्गत सामान्यत: डच बैंक द्वारा संभरकों को भुगतान पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के मद्दे ही किए जाते हैं अत: इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान किए गए आयातों के लिए रियायती अवधि की सुविधा लागू नहीं होगी ।

5(4) संभरकों को पोतलदान/भुगतान प्राधिकार पत्र की वैधता के भीतर पूरा न किया जाने के मामले में आयातक को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-3 अनुभाग) के साथ प्राधिकर पत्र में उपयुक्त वृद्धि अवधि के लिए सम्पर्क स्थापित करना चाहिए । यदि मांगी गई वृद्धि अवधि मूल आयात लाइसेंस की वैधता अवधि से अधिक हो तो जहां आवश्यक हो पुन: वैध आयात लाइसेंस की फोटो प्रति और बैंक से वह पत्र जिसमें बैंक गारंटी की वैधता अवधि बढ़ा दी गई है आवेदन-पत्र के साथ भेजी जानी चाहिए ।

5(5) यदि प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन, प्राधिकार पत्र की वैधता तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हो जाती तो प्राधिकार पत्र में अप्रयुक्त शेष धनराशि वापस कर दी गई समझी जाएगी और प्राधिकार पत्र अपने आप खत्म हो गया समझा जाएगा ।

5(6) मूल परक्राम्य पोतलदान दस्तावेज निरपवाद रूप से नीदरलैण्ड्स पूंजी निवेशक बैंक द्वारा भारत में संबंधित आयातक के बैंक को भेजे जाएंगे । वह बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी एक बैंक की शाखा होगी जिसे वह सुनिश्चित करने के बाद ही संबंधित आयातक को परक्राम्य दस्तावेज रिहा करने चाहिएं कि आयातक ने निम्नलिखित को जमा कर दिया है :—

(1) सार्वजनिक सूचना सं. 8-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17 जनवरी 1976 में यथा निर्धारित और मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं में समय-समय पर यथा अधिसूचित या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से गणना की जाने वाली प्रचलित मिश्रित दर पर डच गिल्डर में संभरकों को भुगतान के समतुल्य रुपये ।

(2) विकासशील देशों के लिए नीदरलैण्ड पूंजीगत निवेशक बैंक एनबी, दि हेग द्वारा संभरकों को वास्तविक भुगतान की तारीख से आयातक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली में समतुल्य रुपये के वास्तविक निवेश की तिथि तक निश्चित जमा की जाने वाली अपेक्षित धनराशि के लिए देखें उपर्युक्त (1) सार्वजनिक सूचना सं. 48-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 16 जून, 1976 के अनुसार प्रथम 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर और 30 दिनों की अवधि से अधिक के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज ।

5(7) यह सुनिश्चय करने की जिम्मेदारी संबंधित भारतीय बैंक की होगी कि आयातक को आयात दस्तावेज सौंपने से पूर्व ही देय धनराशि सरकार के लेखे में ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है । आयातक को यह भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि बैंकरों से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व ही देय धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखे में जमा करा दी जाती है ।

5(8) आयातकों (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और केन्द्रीय सरकार के विभागों सहित) को अपेक्षित रुपया निक्षेप केवल विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से करना चाहिए और सार्वजनिक सूचना सं. 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 में यथा अपेक्षित लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति भी उनके द्वारा पृष्ठांकित करवा लेनी चाहिए । अपेक्षित प्रपत्र "एस" संबंधित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बम्बई को भेज दिया जाएगा ।

5(9) खण्ड 5(6) में उल्लिखित धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली के पास केन्द्रीय सरकार के लेखे में निक्षेप के लिए निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा की जानी चाहिए के-डिपोजिट्स एंड एडवांसेज डिपोजिट नाट बियरिंग इन्ट्रेस्ट—843-सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसेट्रा एब्रोड—परचेजिस एटसेट्रा अण्डर डच जनरल प्राज क्रेडिट वित्त मंत्रालय (आ. का. वि.) के प्राधिकार पत्र सं - - - - डच क्रेडिट ।

5(10) उपर्युक्त उल्लिखित रुपए निक्षेप की सूचना वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31 मई, 1974 और सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 में निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किए गए मूल खजाना चालान को भी भेजना चाहिए । प्राधिकार पत्र सं. के सम्बंध में सूचना, विदेशी मुद्रा की वह धनराशि जिसके लिए रुपया निक्षेप किया गया है डच संभरक को भुगतान की तिथि, ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए इसकी गणना की गई है, निरपवाद रूप से राजकोष चालान में संकेतित की जानी चाहिए ।

(ख) पात्र स्रोत देशों से संभरकों को भुगतान

5(11) उन आयात लाइसेंसों के मामले में जहां उनका मूल्य 1 लाख से कम है, आयातक को प्रतिपूर्ति क्रियाविधि को चुनने की छूट होगी बशर्ते कि निष्पादन आदि के लिए कोई भी भुगतान रोका जाना जरूरी नहीं है । इस प्रणाली के अंतर्गत आयातकों को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उनकी संविदा में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि भुगतान की विधि प्रतिपूर्ति प्रणाली द्वारा होगी । आयातक को एक साखपत्र भारत सरकार द्वारा उनके संविदा के अनुमोदन प्राप्त होने पर खोलना होगा । इस प्रयोजन के लिए आयातक द्वारा यथानिर्दिष्ट नीदरलैण्ड में संभरक के बैंक के लिए साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत करते हुए आयातक के बैंक का एक प्राधिकार पत्र (अनुबंध-7) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-3 अनुभाग) द्वारा जारी किया जाएगा । आयातक द्वारा साखपत्र के मुद्दे भुगतान आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के आधार पर किया जाएगा । सामान्यतः सम्भरकों को सभी पोतलदान/भुगतान उपर्युक्त प्राधिकार पत्र के जारी होने से 20 महीनों के भीतर पूरा कर दिए जाने चाहिएं । सम्भरकों को पोतलदान/भुगतान बीस महीने की अवधि के भीतर पूरा न किए जाने के मामले में आयातक को चाहिए कि वह निरपवाद रूप से संभरकों को पोतलदान/भुगतान को पूरा करने के लिए, समय सीमा की वृद्धि के लिए, इस निर्धारित अवधि के समाप्त होने से कम से कम एक महीना पूर्व ही वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, ईईसी-3 अनुभाग से सम्पर्क स्थापित करें । यह आवेदन, मांगी गई अवधि वृद्धि को शामिल करते हुए पुनर्वैधित आयात लाइसेंस की फोटोप्रति द्वारा समर्थित होना चाहिए । यदि ऐसा आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो उनके संबंध में अप्रयुक्त शेष धनराशि वापिस कर दी गई समझी जाएगी । आयातक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 को माल के पोतलदान के 15 दिनों के भीतर ही सम्भरक को किए गए भुगतान के सम्बन्ध में अपने बैंक से एक प्रमाण-पत्र और डच सम्भरक से इस बारे में एक प्रमाण-पत्र के साथ बीजक की दो प्रतियों को भेजेगा कि "उसने - - - - - डच गिल्डर की धनराशि जो बीजक मूल्य या माल के पोतलदान के 100% के बराबर है" उसे प्राप्त कर लिया है । वह यह भी सुनिश्चय करेगा कि संभरक द्वारा खंड 3(14)(4) में उल्लिखित माल के उद्गम के बारे में प्रमाणपत्र की दो प्रतियां सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को माल के पोतलदान के 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भेज दी जाती है । आयातकों की ओर से आर्थिक कार्य विभाग को जल्दी से प्रतिपूर्ति दस्तावेजों को भेजने से सम्बन्ध किसी भी लापरवाही पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को आयातक के नाम में सभी आयात लाइसेंस निलंबित करने के लिए कहा जा

सकता है । यदि आयातक गलती करता है तो ऐसी हालत में उसके मामले को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को काली सूची में रखने के लिए सिफारिश की जा सकती है । इसके अतिरिक्त आयातक को आयात नियंत्रण आदि को शामिल करने वाले अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना/सजा किया जा सकता है । आयातक द्वारा प्रतिपूर्ति क्रियाविधि का विकल्प लेने के मामले में उस संविदा की 9 फोटो प्रतियां वित्त मंत्रालय द्वारा अपनी संविदा के लिए अनुमोदन प्राप्त करते समय भेजनी चाहिए । ऐसे मामलों में बैंक गारंटी भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) पात्र स्रोत देशों से संभरकों को भुगतान

5(12) आयातक द्वारा उसके आवेदन-पत्र में यथा संकेतित संभरक के नाम में पात्र स्रोत देश में संभरक के बैंक के लिए साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र (अनुबंध-7 के रूप में) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-3 अनुभाग) द्वारा खोला जाएगा । उपर्युक्त प्राधिकार पत्र की प्रति के साथ संविदा की प्रतियां भी हेग में भारत के राज-दूतावास द्वारा उक्त प्राधिकारियों को प्रेषित की जाएंगी ।

(13) पूर्व की कंडिकाओं में उल्लिखित प्राधिकार पत्र की पावती के बाद आयातक का बैंक उक्त प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर और यदि कोई हो तो बंध आयात लाइसेंस के मद्दे अपने बैंकर के माध्यम से संभरक के नाम में एक साखपत्र खोलेगा । इस संबंध में सूचना सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, यूसीओ बैंक बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जाएगी ।

5(14) संभरक को भुगतान किए जाने के बाद संभरक का बैंक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूसीओ बैंक बिल्डिंग पार्लियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को संभरक द्वारा विधिवत् पृष्ठांकित प्रमाण-पत्र को इस संबंध में पोतलदान दस्तावेज के अपरक्राम्य सेट और बीजक की दो प्रतियां भेजे, कि बाद वाले से भुगतान प्राप्त हो गए हैं ।

5(15) संभरकों का बैंक संभरक के माल के उद्गम देश के संबंध में एक प्रमाण-पत्र या एक सबूत (दो प्रतियों में) इस संबंध में प्राप्त करेगा कि वह माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन के लिए संलग्न उद्गम देश के नियमों के अनुसार हैं और उसे सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगा ।

5(16) आयातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों को छोड़कर बीजक/माल के लदान के मद्दे उनके द्वारा संभरक को किए गए प्रेषण के एक प्रमाण-पत्र की सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे । आयातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों को छोड़कर बीजक/माल के लदान के मद्दे उनके द्वारा संभरक को किए गए प्रेषण के एक प्रमाणपत्र की सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रण वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यूसीओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे । आयातक को यह भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि लदान दस्तावेज का एक परक्राम्य सेट और बीजक की दो प्रतियों के साथ संभरक द्वारा भुगतान की पावती के संबंध में विधिवत् पृष्ठांकित प्रमाण-पत्र और खण्ड 5 (3) और 5(14) में उल्लिखित उद्गम प्रमाण-पत्र माल के लदान के 15 दिनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दिए जाते हैं ।

5(17) आयातक द्वारा साख-पत्र के मद्दे भुगतान आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के आधार पर किए जाएंगे ।

5(18) सामान्यतः सभी लदान/संभरकों के लिए भुगतान उपर्युक्त उल्लिखित प्राधिकार पत्र के जारी होने से 20 मास की अवधि के भीतर पूर्ण कर दिए जाने चाहिए । ऐसे मामलों में जहां लदान/संभरकों के लिए भुगतानों की 20 मास की अवधि के भीतर पूर्ण करने की सम्भावना न हो तो आयातक को चाहिए कि वह निरपवाद रूप से लदान/संभरकों के लिए भुगतान को पूरा करने के लिए उपर्युक्त अवधि सीमा की समाप्ति से कम से कम एक मास पूर्व ही वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-3 अनुभाग) से सम्पर्क स्थापित करे । इस प्रकार के आवेदन के साथ पुनः बंध आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिसमें मांगी गई अवधि वृद्धि भी शामिल हो । यदि इस प्रकार का आवेदन निर्धारित अवधि से पूर्व ही प्राप्त नहीं होता है तो संविदा के अप्रयुक्त शेष को अभ्यर्पित किया गया समझा जाएगा ।

5(19) आयातक की ओर से आर्थिक कार्य विभाग को शीघ्र ही प्रतिपूर्ति दस्तावेज भेजने में किसी भी त्रुटि पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को आयातक के नाम में जारी किए गए सभी लाइसेंसों को स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है । यदि आयातक चूक करता है, तो उसका मामला मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की काली सूची में लिखने के लिए भेजा जा सकता है ।

5(20) प्रतिपूर्ति दस्तावेज की पावती के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, नीदरलैण्ड पूंजीगत बैंक को पात्र स्रोत देशों से संभरकों को भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करेगा । नीदरलैंड्स पूंजीगत बैंक प्रतिपूर्ति की तारीख को नीदरलैण्ड में प्रचलित मुद्रा दर पर नीदरलैण्ड गिल्डर में समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा ।

खण्ड 6—विविध

6(1) आयातक को चाहिए कि वह लाइसेंस के उपयोग को दर्शाते हुए अनुबन्ध-8 के रूप में त्रैमासिक रिपोर्ट वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-3 अनुभाग) को भेजे ।

6(2) इसे जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरक के बीच यदि कोई झगड़ा उठता है तो भारत सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होगी । संभरक को भुगतान प्रभावी किए जाने से पूर्व ही उसके द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तें आयातक द्वारा साफ रूप से अनुबन्ध-4 में बता दी जानी चाहिए । यदि आवश्यक हो तो झगड़े के निपटन से सम्बन्धित एक व्यवस्था भी संविदा में शामिल की जाए ।

6(3) लाइसेंसधारी आयात लाइसेंस या इससे सम्बन्धित किसी एक या सभी मामलों पर तथा इस सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों और आदेशों का तुरन्त पालन करेगा ।

6(4) उपर्युक्त कंडिका में दी गई शर्तों का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

अनुबन्ध 1 क

विकासशील देशों को संयुक्त द्विपक्षीय ऋण के लिए पात्र स्रोत देशों की सूची—

क. नीदरलैण्ड

ख. अफ्रीका

उत्तरी साहारा

अल्जीरिया
लीबीया अरब गणराज्य
तूनीसिया
मौरक्को
मिस्र

दक्षिणी साहारा

बोटस्वाना
बुरुण्डि
कैमौरुन
केप वर्दी द्वीप समूह
मध्य अफ्रीका गणराज्य
चाद
कौमौरो द्वीप समूह
कांगो (जनवादी गणराज्य)
जैरी गणराज्य
दहोमी
इथोपिया
गेबोन
गैम्बिया
घाना
गिनी
गिनी बिसाऊ
आइवरी कास्ट
कीनिया
लिशोथो
लाइबीरिया
मालागसी
मलावी
भाली
मारितैनिया
मारिशस
नाइजर
नाइजिरिया
रियूनियन
रुआन्दा
सेनैगाल
सैचलेज
सियरालेओन
सोमालिया
टरअफार और इसास
सैंट हैलेन और डेपेन्डोंसिज
सूडान
स्वाजीलैण्ड
तन्जानिया
टोगो
उगाण्डा
अपर वोल्टा
जाम्बिया

अमेरिका

उत्तरी एवं मध्य

बहगास
बारबेडौस
बरमूदा
कोस्टा रिक्का
क्यूबा
डोमीनिसन (गणराज्य)
ई-1 सैलवोडोर
गुडेलौप
गुआटेमाला
हैटी
होनदुराज
होनदुराज (बी. आर.)
जमैका
मार्टिनिक
मैक्सिको
नीदरलैण्ड्स अन्टलीज
निकारगुआ
पनामा
सैंट पैरी एट मिथ्युलोन
ट्रिनिडाद एट छोबोगो
वेस्ट इण्डीज (बी. आर.)

दक्षिण

अर्जेन्टीना
बोलीविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
इक्वाडौर
फाल्क लैण्ड द्वीप समूह
गुयाना
गिनी (एफ. आर.)
पारागुवे
पीरु
सूरीनाम
यूरुग्वे
वनजुयेला

ऐशिया

मध्य-पूर्वी

बेहरीन
ईरान
ईराक
इजराइल
जोर्डन
कुवैत
लेबनान
ओमन
कतार
सऊदी अरब
यमन (जनवादी प्रजातन्त्र गणराज्य)

सीरिया (अरब गणराज्य)
संयुक्त अरब गणराज्य
यमन (अरब गणराज्य)

दक्षिणी

अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
भारत
मालदीवस
नेपाल
पाकिस्तान
श्री लंका

सुदूर पूर्व

ब्रूनी
खैमर गणराज्य
हांग-कांग
इण्डोनिशिया
कोरिया (गणराज्य)
कोरिया (जनवादी प्रजातन्त्र गणराज्य)
लाओस
मैको
मलेशिया
फिलीपिन्स
सिंगापुर
थाईलैण्ड
तिमोर
वियतनाम (गणराज्य)
वियतनाम (प्रजातन्त्र गणराज्य)

ओसीनिया

फिजी
गिलबर्ट एवं एलिस द्वीप समूह
फ्रेंच पोलिनेशिया
न्यू कैलैडोनिया
न्यू हेबराइड्ज (बी. आर. एण्ड एफ. आर.)
पेसेफिक द्वीप समूह (यू. एस.)
पापुओ न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह
टोंगा
वालिज और फुतुना
पश्चिमी सामोआ

यूरोप

टर्की
पुर्तगाल

अनुबन्ध—1-ख

उद्गम के नियम

1. उद्गम के इन नियमों की विषयाधीन मदें पात्र स्रोत देशों में उत्पादित माल और सेवाएं होंगी ।

2. माल के मामले में नीदरलैण्ड्स के उद्गम का निर्धारण इस क्षेत्र में उस विधान के अधीन होगा जो कि यूरोपीय समुदाय में लागू हैं ।

3. पैरा-2 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण नीदरलैण्ड के वाणिज्य मण्डल द्वारा जारी किए गए उद्गम के प्रमाण-पत्र के साथ भेजा जाएगा ।

4. माल के मामले में, विकासशील देशों के उद्गम का निर्धारण उस उद्गम नियम के अधीन होगा जो अधिमान्यता सामान्य प्रणाली की रूपरेखा में यूरोपीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई हो ।

5. पैरा 4 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण विकासशील देशों के प्रशासकीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रपत्र "ए" (जो अधिमान्यता की सामान्य प्रणाली के उपयोग में लाया जाता है) उद्गम के प्रमाण-पत्र द्वारा भेजा जाएगा ।

6. सेवाओं के मामले में (अर्थात् मार्ग-दर्शन का पैरा-1) उद्गम का निर्धारण नीदरलैण्ड्स सरकार और ऋण लेने वाले देशों के बीच आपसी परामर्श के तदर्थ आधार पर किया जाएगा ।

7. ऐसे मामलों में जहां उद्गम के नियमों में वास्तव में कोई समस्या पैदा हो जाती है या ऋण लेने वाले देश को गम्भीर आर्थिक घाटा हो जाता है (उदाहरणार्थ बहुत से सम्भावी संभरणों पर जबरदस्त प्रतिबन्ध) तो इन नियमों से छुटकारा पाने की स्वीकृति दी जा सकती है किन्तु केवल नीदरलैण्ड्स सरकार एवं ऋण लेने वाले देश के बीच आपसी परामर्श के बाद दी जा सकती है ।

अनुबंध 2

नीदरलैण्ड्स द्वारा द्विपक्षीय विकास ऋण के

अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति

के लिए मार्ग दर्शन

क. सामान्य

1. ये मार्ग-दर्शन द्विपक्षीय ऋण के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति को शासित करते हैं जो कि शासकीय नीदरलैण्ड विकास सहायता कार्यक्रम का एक भाग है । ये ऋण विकासशील देशों के लिए उपलब्ध हैं । पात्र स्रोत देशों की सूची परिशिष्ट-1 'क' के रूप में संलग्न है । इस सूची में प्राप्तकर्ता देश शामिल हैं । नीदरलैण्ड्स की सरकार पात्र स्रोत देशों से संभरण की कमी को पूरा करने के लिए पात्र स्रोत से इतर स्रोत देशों से वाहन और बीमा कीमतों सहित माल और सेवाओं के सीमित संभरण के लिए व्यक्तिगत आधार पर सहमत हो सकती है ।

2. नीदरलैण्ड्स की सरकार को इसके लिए अवश्य ही संतुष्ट हो जाना चाहिए कि ऋण से प्राप्त लाभ का उपयोग, अर्थ-व्यवस्था, कार्य-क्षमता, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निष्पक्षता और पात्र स्रोत देश के बीच बिना किसी भेद-भाव को ध्यान में रखते हुए और इन मार्ग-दर्शनों में बताई गई अधिप्राप्ति क्रिया-विधियों के अनुसार किया जाना है ।

3. कंडिका 16 और 17 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए जिससे यह पता चलता हो या यह परिणाम निकलता हो कि किसी एक विशेष देश के एक विशेष संभरक का या संभरकों का पक्ष लिया जा रहा है ।

4. माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए ऋणी द्वारा अपनाए जाने वाले उद्गम के नियम और नियंत्रण इन मार्ग-दर्शनों के साथ परिशिष्ट-1 'ख' के रूप में संलग्न कर दिए गए हैं ।

5. ऐसे मामले में जहां ऋणी पर अधिप्राप्ति का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता तो वह ऐसी व्यवस्थाएं करेगा जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि खरीददार इन मार्ग-दर्शनों का अनुपालन करता है ।

6(1) ऋणी निम्नलिखित मामलों को छोड़कर औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से माल और सेवाएं प्राप्त करेगा :—

(क) जहां नीदरलैण्ड्स परम्परागत या आयातों के लिए केवल एकमात्र स्त्रोत है ;

(ख) जहां आयातों का मूल्य डी एफ एल 1.25 मिलियन से कम है ;

(ग) जहां इस प्रकार की क्रिया विधि लागू नहीं होती या उपयुक्त नहीं है । इस मामले में नीदरलैण्ड्स सरकार और ऋणी देश के बीच करार किसी अन्य उचित क्रिया विधि से संभरकों को उनकी बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने से पूर्व ही पूरा कर दिया जाना चाहिए । इस प्रकार का करार राजकीय नीदरलैण्ड्स राजदूतावास के माध्यम से ऋणी द्वारा दी जाने वाली सभी सम्बद्ध जानकारी के आधार पर किया जाना है ।

6(2) जहां भारतीय आयातकों और विदेशी संभरकों के बीच कायम वर्तमान सम्बन्ध और नीदरलैण्ड्स और या विकासशील देशों में उपलब्ध और अभिज्ञात संभरणों के अवसर के प्रकाश में ऋणी सभझता है कि आयात केवल नीदरलैण्ड्स से ही प्रभावी किए जाने चाहिए तो खरीददार, केवल नीदरलैण्ड्स के लिए बोली को सीमित रखने के लिए या नीदरलैण्ड्स और साथ ही साथ स्रोत देशों से बोलियां प्राप्त करने के लिए विकल्प रखेगा । ऐसे मामलों में अनुच्छेद 31—33 के साथ मार्ग-दर्शन का अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 34—38 के साथ अनुच्छेद 30 लागू हैं ।

7. ये मार्ग-दर्शन और साथ ही साथ उद्गम के नियम और पात्र स्त्रोत देशों की सूची नीदरलैण्ड्स की सरकार के संशोधनाधीन हैं ।

(ख) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए क्रिया-विधि ।

8. बोली के लिए आमंत्रण जारी करते समय ऋणी (या ऋणी की ओर से खरीददार) निम्नलिखित दो प्रकाशनों में से कम से कम एक में बोली का विज्ञापन देगा :—

भारतीय व्यापार पत्रिका

भारतीय निर्यात सेवा बुलेटिन

आयातक भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतीय सेवा बुलेटिन में यथा विज्ञापित निविदा नोटिस की तीन प्रतियां भारत स्थित नीदरलैण्ड्स के राजदूतावास को भेजेगा ।

8. प्रतियोगिता को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी अलग-अलग संविदाएं जिनके लिए जब कभी सम्भव हो बोलियां आमंत्रित की जाती हैं वह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर बोलियों को आकर्षित कर सकें । दूसरी तरफ यह कि यदि तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से एक परियोजना को विशेष प्रकार की संविदाओं में विभाजित करना सम्भव हो और इस प्रकार के विभाजन से ऋणी को लाभ हो और/या इससे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली और भी विशाल बन जाए तो परियोजना विभाजित की जानी चाहिए । अभियान्त्रिक, उपस्करण और निर्माण कार्य (सामान्यत: टर्न की कन्टैक्ट के रूप में जाने जाते हैं) के लिए एकल संविदाओं की वांछा की जा सकती है यदि वे उपलब्ध तकनीकी एवं आर्थिक संविदाओं के भीतर ऋणी देश के लिए सम्पूर्ण लाभ अर्पण करती हैं ।

10. विशेष रूप से सिविल कार्यों की संविदाओं के लिए औपचारिक पूर्व योग्यता की वांछा की जा सकती है । यदि पूर्व-योग्यता की वांछा की जाती है तो यह इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्णत: संतोषजनक निष्पादन की क्षमता पर आधारित होनी चाहिए (1) इसी प्रकार के कार्य में फार्म का पूर्व अनुभव (2) कार्मिक, उपस्करण एवं संयंत्र के सम्बन्ध में इसकी क्षमता और (3) इसकी आर्थिक स्थिति और सबलता । पूर्व-योग्यता क्रिया विधि का विज्ञापन कंडिका 8 में उल्लिखित क्रिया विधि के अनुसार किया जाएगा । पूर्व-योग्यता के लिए विचार किए जाने वाले इच्छुक ठेकेदारों के लिए संक्षिप्त विशिष्टीकरण उपलब्ध कराए जाएंगे । जब पूर्व-योग्यता लागू हो जाती है तो वे सभी फर्म जो पूर्व-योग्यता की शर्तों को पूरा करती हैं बोली के लिए अनुमित होंगी ।

11. बोली के दस्तावेज उन भाषाओं में से किसी एक भाषा में तैयार किए जाएंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-व्यवहार में साधारणत: प्रयोग की जाती है और जब तक कानूनी तौर पर रोक नहीं लगा दिया जाता इस बात का उल्लेख करेगी कि उक्त भाषा दस्तावेज के मूल पाठ में लागू रहेगी ।

12. विशिष्टिकरण में किए जाने वाले कार्य संभरण किए जाने वाले माल और सेवाओं तथा सुपुर्दगी या संस्थान की जगह के लिए जहां तक सम्भव हो साफ और सुस्पष्ट रूप से बताया जाएगा । ड्राइंग विशिष्टिकरण के विषय के अनुकूल होगी, जहां वे अनुकूल नहीं होंगी तो उसका मूल पाठ लागू होगा । विशिष्टिकरण में मूल्यांकन के सिद्धान्त और बोलियों की तुलना का उल्लेख करेगा जो तब लेखों में लिए जाएंगे जब मूल्यांकन किए जाते हैं और बोलियों की तुलना की जाती है । विशिष्टिकरण में इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए जिनसे कि स्वतन्त्र और सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को स्वीकृति एवं प्रोत्साहन मिल सके । किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण गलतियों में सुधार और विशिष्टिकरणों में परिवर्तन तथा बोली के लिए आमंत्रण से उनको शीघ्र ही अवगत करा दिया जाएगा जिन्होंने मूल बोली दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया था।

13. यदि इस प्रकार के राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार कि उपकरण या माल होने आवश्यक हों, तो विशिष्टिकरण में यह बताया जाएगा कि वे माल जो अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानकों को पूरा करते हैं जिनमें उल्लिखित मानकों के अलावा उसके बराबर या अच्छी किस्म की मांग की गई हो तो वे भी स्वीकार किए जाएंगे ।

14. यदि विशेष फालतू पुर्जों की अपेक्षा की जाती है या यह निश्चय किया जाता है कि कुछ अनिवार्य गुणकता को बनाए रखने के लिए एक विशेष मात्रा के मानकीकरण की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन और क्षमता पर आधारित

होंगे और उनमें केवल तभी पंजीकृत मार्का नाम, सूची संख्या विशेष विनिर्माता के उत्पाद निर्धारित होने चाहिए । अन्तिम मामले में विशिष्टिकरण में विकल्प उन सामान के प्रस्तावों की स्वीकृति दी जाएगी जिसमें मिलती-जुलती विशिष्टताएं हैं जिनका निष्पादन और क्वालिटी कम से कम उन विशिष्टिकृत स्तर के बराबर हैं ।

15. बोली के लिए निमंत्रण में पात्र स्त्रोत देशों का उल्लेख किया जाएगा और उद्गम के लागू नियमों को बताया जाएगा ।

16. कोटेशन की जांच पात्र स्त्रोत देशों के संभरकों के बीच पूर्णतः बराबरी की शर्तों के आधार पर की जाएगी (इसमें माल और उपकरण के लिए सीमा-शुल्क टैरिफ और अन्य करों और इसी प्रकार के प्रभावी करों की निःशुल्क कीमतों पर कोटेशन के मूल्यांकन भी शामिल हैं) लेकिन, ऋणी देश माल और सेवाओं के संभरण के लिए बोली के मूल्यांकन और मिलान करने के लिए जिसमें परिवहन कीमतें शामिल नहीं हैं, स्थानीय माल और सेवाओं के लिए और उन अन्य पात्र स्त्रोत देशों के उत्पादों के लिए वरीयता की गुंजाइश देने के लिए जो मांट में हैं या जो इस प्रकार के वर्ग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए, अन्य पात्र स्त्रोत देशों में उत्पन्न होने वाले माल और सेवाओं के लिए प्राधिकृत है । वरीयता की यह गुंजाइश न्यूनतम मूल्यांकित विदेशी बोली के लागत बीमा भाड़ा पर 15 प्रतिशत या बोलीकर के देश में सीमा-शुल्क करों के वर्तमान स्तर इनमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ।

17. विशेष मामलों में, ऋणी, नीदरलैण्ड्स सरकार और ऋणी देश के बीच आपसी परामर्श करके, कंडिका 16 में उल्लिखित वरीयता की गुंजाइश के अतिरिक्त गांट के अनुकूल स्थानीय और क्षेत्रीय विनिर्माणकर्ताओं के लिए वरीयता की सीमित गुंजाइश को प्रदान कर सकता है । वरीयता के स्तर का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय दर्जा या क्षेत्रीय स्वास्थ्य और प्रबन्ध और श्रेणी देश के पंजीकरण या इन विनिर्माणकर्ता एककों के क्षेत्रीय आर्थिक वर्ग जैसे तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

18. बोली दस्तावेज में कोई भी सहमत वरीयताएं प्रदर्शित की जाएंगी और बोली के मूल्यांकन और तुलना में जिस तरीके से उन्हें लागू किया जाएगा उसे भी बताया जाएगा ।

19. बोलीकारों को पर्याप्त समय दिया जाएगा जिसमें वे अपनी बोलियां प्रस्तुत करेंगे ।

20. बोलियों को प्राप्त करने और बोली को खोलने के लिए अन्तिम तारीख समय और स्थान बोली के लिए निमंत्रणों में घोषित किया जाएगा और सभी बोलियां निर्धारित समय पर जनता के सामने खोली जाएंगी । निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाली बोलियों को बिना खोले ही लौटा दिया जाएगा । बोलीकार का नाम प्रत्येक बोली या आवेदित या स्वीकृत यदि कोई विकल्पी बोली हो तो उसका कुल मूल्य ऊंची आवाज में पढ़ा जाएगा और उनका रिकार्ड रख लिया जाएगा ।

21. किसी बोलीकार को बोलियां खुलने के बाद अपनी बोली में परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । केवल बोली के मूल में परिवर्तन से भिन्न स्पष्टीकरण स्वीकार किए जा सकते हैं । ऋणी किसी भी बोलीकार को अपनी बोली में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है किन्तु किसी भी बोलीकार की बोली के मूल में या अपनी बोली के मूल में परिवर्तन के लिए नहीं कहेगा ।

22. कानून द्वारा यथाअपेक्षित को छोड़कर जांच से सम्बद्ध कोई भी सूचना, स्पष्टीकरण और बोली के मूल्यांकन तथा परिनिर्णय से सम्बद्ध सिफारिश बोलियों के सार्वजनिक रूप से खुलने के बाद सफल बोलीकार के लिए संविदा के परिनिर्णय को घोषित करने से पूर्व किसी भी उस व्यक्ति को नहीं भेजी जाएगी जो ऋणी की ओर से या नीदरलैण्ड्स की सरकार की ओर से इन क्रिया-विधियों से औपचारिक रूप से सम्बद्ध नहीं है ।

23. बोलियों के खुलने के बाद खरीददार इस बात का सुनिश्चय करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या बोलियों के परिकलन में महत्वपूर्ण गलतियां की गई हैं, क्या बोलियां/बोली दस्तावेज की आवश्यकताओं के पूर्णतः अनुकूल तो हैं, क्या अपेक्षित गारंटियों और जमानतों की व्यवस्था की गई है, क्या दस्तावेज सही रूप से हस्ताक्षरित कर दिए गए हैं और क्या दस्तावेज अन्यथा रूप से सही हैं ? यदि कोई बोली वास्तविक रूप से विशिष्टिकरण के अनुकूल नहीं है या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से वास्तव में बोली दस्तावेज के अनुकूल नहीं है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा । तब आर्थिक दृष्टि से विस्तृत निर्धारण के साथ तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा जिससे प्रत्येक अनुकूल बोली का मूल्यांकन किया जा सके और बोलियों को मिलान के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

24. बोली के लिए निमंत्रण में बताया जाए कि खरीददार को ऐसी सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार है जब कोई बोली विशिष्टिकरण के प्रयोजन के अनुकूल नहीं हैं और जब प्रतियोगिता के अभाव का प्रमाण मिलता है या निम्न बोलियां उस पूर्व अनुमानित धन-राशि की कीमत से अधिक होती हैं जो इस तरह की कार्रवाई को उचित बनाने के लिए पर्याप्त है । यदि सभी बोलियां रद्द कर दी जाती हैं तो ऋणी नीदरलैण्ड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ऐसी स्थितियों के कारणों को और निम्न बोली और अनुमानित कीमत में अन्तर के कारणों को जानने के लिए एक या एक से अधिक न्यूनतम बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है । विशिष्टिकरण में परिवर्तन को परिवर्तित करने वाली तय की गई वे संविदाएं जिनसे परियोजना की अनुमानित कीमत में कमी हो सकती है उन्हें स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि परिवर्तन परियोजना के स्वरूप को वास्तविक रूप में नहीं बदलते । जहां परिवर्तन वास्तविक है वहां पुनः बोली उचित हो सकती है । इसे हर बार नीदरलैण्ड्स की सरकार द्वारा अनुमोदित कराना होगा ।

25. बोलियों के मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में बताए गए नियम और शर्तों के अनुसार और बोलियों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से पूर्व इससे सम्बद्ध किसी भी आशोधन के अनुसार होने चाहिएं । न्यूनतम मूल्यांकित बोली को स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ कीमत से भिन्न तथ्यों जैसे निर्माण कार्य या अन्य कार्य को पूरा करने के लिए समय उपकरण की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता, इसकी सुपुर्दगी का समय और सेवा और फालतू पुर्जों की उपलब्धता को भी ध्यान में लिया जाएगा और जहां तक सम्भव हो सकेगा मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा वे मुद्रा जिनमें बोली कीमत का भुगतान किया जाएगा उनका मूल्यांकन बोली के मिलान के प्रयोजनार्थ सरकारी साधन द्वारा प्रकाशित मुद्रा की दरों के आधार पर और बोली के अन्तिम तारीख को इस प्रकार के सौदे के लिए लागू दरों के आधार पर किया जाएगा ।

26. संविदा का परि-निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाएगा जिसकी बोली पूर्व की कंडिकाओं में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मूल्यांकित बोली निश्चित की गई हो ।

27. अनुरोध करने पर नीदरलैण्ड्स की सरकार को अधिप्राप्ति के सभी पहलुओं पर अपनी टिप्पणी और सिफारिश प्रदान करने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा । संविदा का परि-निर्णय होने के बाद नीदरलैण्ड्स की सरकार को ऋण के उपयोग के मूलांकन के लिए सभी सम्बद्ध दस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी (उनकी प्रतियों सहित) प्रदान की जाएंगी ।

(ग) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली से भिन्न अधिप्राप्ति की क्रिया-विधि

28. कंडिका 29 और 30 में उल्लिखित मामलों में कंडिका 31-39 में उल्लिखित अधिप्राप्ति के नियम कंडिका 6 के अनुसार लागू हो सकते हैं ।

29. मानकीकरण

जहां खरीददार के पास अपने उपकरण के उचित मानकीकरण को बनाए रखने के लिए विश्वसनीय कारण हैं ।

30. योग्य संभरकों की सीमित संख्या.—उन मामलों में जहां विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण योग्य संभरकों की संख्या सीमित है और खरीददार की मार्किट जानकारी ऐसी है कि उससे आशा की जा सकती है कि योग्य संभरकों के बारे में जानें।

31. औपचारिक चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय बोली.—सामान्य चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय बोली के अन्तर्गत खरीददार उन सीमित संख्या के (पूर्व) योग्य संभरकों से बोलियां आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत है जो विषयाधीन अधिप्राप्ति की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य समझे जाते है।

ऐसे मामलों में ऋणी को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि किसी भी सम्भावित योग्य संभरक को छोड़ नहीं दिया गया है । जब और जैसे ही वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत सरकार, से पात्र स्त्रोत देशों के सम्भावित संभरकों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी जिससे कि वे उचित आधार पर भाग लेने में समर्थ हो सकें।

32. संभरकों का चुनाव केवल उनकी योग्यताओं के आधार पर किया जाता है और जहां तक संभव हो वे नीदरलैण्ड्स सहित अनेक पात्र स्त्रोत देशों से चुने जाते हैं।

33. कंडिका 8 में उल्लिखित से भिन्न औपचारिक अंतराष्ट्रीय बोली की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू की जानी हैं।

34. औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति.—यदि औपचारिक प्रतियोगिता बोली की क्रिया विधियों के माध्यम से अधिप्राप्ति नहीं होती है तो वह संतोषजनक वाणिज्यिक नीति के अनुसार और पात्र स्त्रोत देशों के बीच बिना किसी भेद-भाव के प्राप्त करनी चाहिए।

35. आयातक को अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति इच्छित उपयोग का विस्तृत और समायोजित प्रचार करना चाहिए । पात्र स्त्रोत देशों के संभरक जब भी ऐसी सूचना मांगेंगे, तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार उनको न्यायोजित आधार पर भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सभी आवश्यक सूचना देगी।

36. दरों और प्रस्तावों की तैयारी के लिए अनुमति समय शामिल की गई संविदाओं के स्वरूप द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। साधन सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की अनुमति देने के लिए समय और वितरण दोनों की अनुसूचियां पर्याप्त लम्बी होंगी।

37. कुछ विशेष मामलों में नीदरलैंड्स सरकार मूल्य भाव कैसे प्राप्त किए गए थे इसके पूर्ण ब्यौरे सहित विक्रय किए गए माल, शामिल किए गए संभरकों और प्राप्त मूल्य दरों के संबंध में विक्रेताओं से सूचना मांग सकती है।

38. औपचारिक स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए पूर्ण संभव सीमा तक यथोचित मार्ग-दर्शन लागू होना चाहिए।

39. **एक मात्र संभरक.**—निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में क्रेता को किसी एकमात्र संभरक से सीधे ही क्रय करने की अनुमति दी जाती है :—

1. एक वाणिज्यिक आयातक द्वारा यह अधिप्राप्ति जिसमें वह पंजीकृत व्यापार चिन्हित नाम वाली पण्य वस्तु शामिल होती है जो आयातक द्वारा पुनः बिक्री के लिए हो, जिसके लिए आयातक संभरक का नियमित प्राधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक या विनिर्माता हो ।

2. एक वाणिज्यिक आयातक द्वारा वह अधिप्राप्ति जिसमें वह पण्यवस्तु शामिल है जो पुनः विक्रय के लिए अधिप्राप्ति की जाती है जिसके लिए आयातक संभरक का नियमित रूप से प्राधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक विनिर्माता हो।

3. पुर्जों की विनिमयशीलता का सुनिश्चय करने के लिए या विशेष डिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण अधिप्राप्ति केवल एक ही स्त्रोत से पूर्ण की जा सकती है ।

4. क्रेता वह विनिर्माता हो जिसका साज-सामान और कच्ची सामग्री का फार्मूला कच्ची सामग्री की उस विशेष किस्म के जिस सर्वोत्तम उपयोग के लिए बनाया गया तो केवल एक ही स्त्रोत से प्राप्त की जा सकती हो ।

5. यदि संभरक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली के अधीन मूल्य रूप में प्राप्त की गई अधिप्राप्ति को बढ़ाना या दोहराना चाहता हो बशर्ते कि सम्पूर्ण अधिप्राप्ति मूल अधिप्राप्ति के मुकाबले में छोटी हो, केवल कुछ ही अवसरों पर पूर्ण की जाती हो और जब मूल अधिप्राप्ति से संबंधित निर्माण कार्य उस समय भी चल रहा हो या मूल अधिप्राप्ति पूर्ण करने के थोड़े ही समय बाद पूर्ण की जाती हो।

6. यदि सौदे का मूल्य डी एफ एल 1.25 मिलियन से कम हो।

परामर्शकों के उपयोग के लिए मार्ग-दर्शन

40. परामर्श देने वाली नियोजित संस्थाएं इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए कि उनका परामर्श डिजाइन,

विशिष्टिकरण और उनके द्वारा तैयार किए गए बोली के दस्तावेज राष्ट्रीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक पक्षपात से मुक्त हों और वे प्रतियोगिता के आधार का अनुपालन कर सकती हों । स्थानीय परामर्शदात्री संस्थाओं पर विचार करते समय राष्ट्रीय स्वामित्व का स्तर प्रबंध और कार्मिक तथा पंजीकरण जैसी बातों पर उचित ध्यान देना चाहिए।

41. परामर्शदात्री संस्थाओं के चयन के लिए औपचारिक प्रतियोगिता वाली क्रियाविधियों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, चयन की प्रक्रिया में ऋणी को उन प्रत्याशित संस्थाओं की यथोचित संख्या पर विचार करना चाहिए जिनसे कई पात्र स्रोत देशों में समर्थ और स्वतन्त्र सेवाएं अर्पिता करने की आशा की जा सकती हो। यह सूची निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व-गुणों पर आधारित होगी :—

1. कार्य की समान किस्मों में संस्था का पहला अनुभव
2. कर्मचारियों, साज-सामान और संयंत्र के संबंध में इस संस्था की क्षमता
3. इसकी वित्तीय स्थिति और सक्षमता

यह वांछनीय है कि प्रस्तावों के लिए निमंत्रण भेजने से पहले ऋणी प्रत्याशित संस्थाओं की सूची नीदरलैंड्स सरकार को प्रस्तुत करे। नीदरलैंड्स सरकार को परामर्शी के चयन को अस्वीकार करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त वह नीदरलैंड्स में परामर्शदात्री क्षेत्र में अपनी जानकारी के आधार पर यह सुझाव दे सकती है कि इस सूची में वृद्धि की जाती है।

ङ शिकायतें

42. खरीददार बोली के संबंध में बोलियों को प्रस्तुत करने और संविदाओं के प्रदान करने के संबंध में उत्पन्न होने वाली शिकायतों को सुनने और उनकी जांच करने की व्यवस्था करेगा।

43. औपचारिक बोली क्रियाविधि के अन्तर्गत की गई खरीद के मामले में बोली समाप्त होने की तिथि से पूर्व किए गए प्रतिबंध पण्यवस्तु विशिष्टिकरण या आमंत्रण की प्रतिबंध अवधि के संबंध में विषयवस्तु की किसी भी शिकायत का समाधान बोलियों के खुलने से पूर्व ही किया जाएगा । यदि आवश्यक हो तो नीदरलैंड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही उचित अवधि के लिए बोली के लिए अन्तिम तिथि स्थगित की जाए ।

44. जब शिकायत स्पर्द्धी संभरकों में से किसी एक के द्वारा की गई है तो शिकायत के विषय से संबंधित और इस पर की गई कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज नीदरलैंड्स सरकार द्वारा और ऋणी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध होंगे।

अनुबन्ध 3

डच क्रेडिट

संविदा प्रमाण-पत्र

संविदा के ब्यौरे

भारतीय आयात लाइसेंस की संख्या------- .

1. संविदा की संख्या एवं दिनांक---------

2. खरीददार---------को संभरित किए जाने वाले माल एवं सेवाओं के ब्यौरे---------

(यदि बहुत सी मदों का संभरण किया जाना है तो प्रमाणपत्र में विस्तृत सूची लगाई जानी चाहिए)

3. खरीददार को चुकाई जाने योग्य कुल संविदा कीमत (लागत बीमा भाड़ा लागत एवं भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का संकेत कीजिए) डी. एफ. एल---------यदि माल का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्डों की पूर्ति अपेक्षित की जानी चाहिए ।

4. नीदरलैंड्स में उत्पन्न नहीं किए गए माल का जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत किन्तु वह उस माल की खरीद संभरक द्वारा सीधे ही विदेशों से की गई है अर्थात विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित कच्चे माल या संघटकों का प्रतिशत,

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य---------

(ख) मदों का विवरण एवं संक्षिप्त विशिष्टिकरण--------

5. यदि सेवाओं का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्ड की भी पूर्ति की जानी चाहिए

6. किए जाने वाले किसी काम का अनुमानित मूल्य या

(क) आपकी फर्म (साइट इंजीनियर प्रभारत आदि)

(ख) स्थानीय संभरक---------

द्वारा खरीददार के देश में निष्पादित की गई सेवा का उल्लेख कीजिए ।

7. उपर्युक्त कंडिका 4 और 5 के सम्बन्ध में तथा आवश्यक

अर्हक टिप्पणियां - - - - -

8. मैं घोषणा करता हूं कि मैं संभरक द्वारा या नीचे उल्लिखित द्वारा नीदरलैंड्स में नियुक्त किया गया हूं इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है । एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उपर्युक्त कंडिका 4 और 5 में उल्लिखित माल एवं सेवाओं से भिन्न किसी भी ऐसे माल या सेवा का इस संविदा के निष्पादन में संभरक द्वारा संभरण नहीं किया जाएगा जो नीदरलैंड्स मूल के नहीं है ।

हस्ताक्षरित- - - - - - -

ओहदा- - - - - - -

संभरक का नाम और पता- - - - - - -

दिनांक---------

नीदरलैण्डस वाणिज्यिक मण्डल-------

अनुबंध 4

(ए) भारतीय आयातक का नाम और पता और/या जहां आवश्यक हो परियोजना अधिकारी का नाम और पता ।

(बी) संभरक का नाम और पता । यदि संभरक पात्र स्रोत देशों के हैं तो उस मामले में निम्नलिखित सूचनाएं भी भेजी जानी चाहिए :—

(1) राष्ट्रीयता

(2) पात्र स्रोत देशों के द्वारा रखे गए शेयरों का प्रतिशत ।

(सी) (1) आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक

(2) मूल्य

(डी) (1) नीदरलैंड्स/पात्र स्रोत देश में संभरक के बैंक का नाम और पता

*(2) भारत में आयातक का बैंक (यह वह बैंक होगा जिसने बैंक गारंटी दी है)

**(3) भारत में आयातक का बैंक जो कि आयातक के लिए पोतलदान दस्तावेज रिहा करने से पहले भारत के लेखे में रुपए जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(ई) डच गिल्डरस में या पात्र स्रोत देश के मुद्रा में संविदा आदेश का मूल्य ।

(एफ) अधिप्राप्ति की विधि, क्या वह सीधे खरीद पर आधारित है या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय बोली पर या चयन फार्मूला अन्तर्राष्ट्रीय बोली के आधार पर जिस मामले में यह संकेत किया जाना चाहिए कि क्या संविदा यदि कोई हो तो उन कारणों के साथ न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर की गई है ।

(जी) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण ।

(एच) माल का उद्गम—यदि कोई हो तो गैर पात्र स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत ।

(आई) सुपुर्दगी को पूरा करने की संभावित तिथि ।

(जे) भुगतान की शर्त और संभावित वह तिथि जिस दिन इस संविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़ेगी ।

(के) पोतलदान दस्तावेजों की विस्तृत सूची जैसे अवतरण बिल, बीजक, उद्गम प्रमाणपत्र आदि (जैसे विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड पूंजी निवेश बैंक या पात्र स्रोत देश में संभरकों के बैंक को चाहिए कि संभरकों को भुगतान करने से पहले अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों के साथ मांग करें) ।

*निजी क्षेत्र के लिए ।

**सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ।

(एल) यदि संविदा में शामिल हैं तो भारतीय एजेन्ट का वह कमीशन (ठीक-ठीक धनराशि संकेतित की जानी है) जिसे प्राधिकार पत्र जारी करते समय संविदा के मूल्य में घटाना पड़ेगा । इस प्रकार का कमीशन का भुगतान भारतीय एजेन्टों को रुपए में आयातकों द्वारा सीधे ही किया जाएगा ।

(एम) वह मूल्य जिसके लिए प्राधिकार पत्र अपेक्षित हैं ।

(एन) बैंक गारन्टी की संख्या, दिनांक और मूल्य इसमें उस अवधि का भी संकेत हो जिससे यह वैध है ।

(ओ) यदि कोई हो, तो विशेष अनुदेश ।

अनुबन्ध 5

गारन्टी बांड

(डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अन्तर्गत माल के आयात से संबंधित प्रक्रिया के अन्तर्गत बैंकों द्वारा भेजा जाना है)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के बदले (इसके बाद इसे ''सरकार'' कहा गया) डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अंतर्गत जारी की गई शर्तों के अनुसार तथा ऊपर उल्लिखित करार के मद्दे आयातक के नाम में आयात के अनुसरण में दिनांक को — — — —जारी किया गया लाइसेंस सं. - - - - - -का पालन करते हुए- - -के द्वारा (बाद में इसे ''आयातक'' कहा गया) - - - - -के आयात के लिए डच गिल्डर में भुगतान के लिए राजी होते हुए आयातक के अनुरोध पर हम - - - - - (बैंक) विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बैंक, दि हेग द्वारा भुगतान की गई धनराशि को जमा करने के लिए परिवर्तन की चालू परिवर्तित दर पर जो इस संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार परिकलित किया जाता है । डच संभरकों को किए गए भुगतान की तारीख को सरकारी लेखे में क्रेडिट के लिए समतुल्य रुपए के भुगतान की तारीख तक पहले 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर पर और उससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक दर पर (जैसा कि सार्वजनिक सूचना 46-आई टीसी (पी एन)/76 दिनांक 16-6-76 में निर्धारित है) गणना किए गए ब्याज के साथ भुगतान के परामर्श की पावती की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर विधि के साथ भारत सरकार को क्रेडिट के लिए और उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत उपयुक्त लेखा शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा लेखा शीर्षक विपरीत संकेतित है, व्यवस्था करने का भार लेते हैं, विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बैंक, दि हेग द्वारा प्राप्त आयात प्रलेखों का परक्राम्य सेट आयातक को केवल तभी लौटाया जाएगा जबकि ऊपर के अपेक्षित जमा रुपये पूरे कर लिए गए हो ।

2. हम दि- - - - - - - - - (बैंक) सरकार जहां और जैसा भी, समय-समय पर निदेश दें, आयातक द्वारा समय-समय पर सरकार को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की राशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य या उस पर कोई भी अंश जो आयातक द्वारा थोड़े समय के लिए बकाया और देय रह गया है, जिसमें संभरकों को भुगतान करने की तारीख से पहले 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर पर और उससे अधिक अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक दर (देखें पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना - - - - गणना किया हुआ ब्याज भी शामिल है, ऐसी राशि जो - - - - - - रु. से अधिक नहीं है, आयातको द्वारा भुगतान करने में देर होगी तो उसको भी क्षति से सरकार को दूर रखेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे । आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की देर होने पर अथवा उसकी ओर से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के संबंध में जो राशि हमारे- - - - - - - - - (बैंक) द्वारा दी जानी है, उस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर——— (बैंक) अंतिम और अनिवार्य होगा ।

3. हम- - - - - - - (बैंक) आगे इस बात पर सहमत हैं कि संविदा के अन्तर्गत मिली-जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में वृद्धि होने से या अधूरे माल छुड़ाने की स्थिति में उसके मूल्य में वृद्धि होने की स्थिति में जैसा कि उपर्युक्त कंडिका 1 में बताया गया है, जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अनुपात में बैंक गारन्टी बांड की धनराशि को समायोजित कर लिया जाएगा ।

4. हम - - - - - -(बैंक) आगे इस बात पर सहमत हैं कि इस गारंटी में जो कुछ दिया गया है, वह उल्लिखित करार संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगा और उसे तब तक कार्यान्वित रखा जाएगा जब तक सरकार के अन्तर्गत या इस गारंटी में आने वाला सारा बकाया

पूर्णरूपेण चुकता न किया गया हो और इसकी सारी मांगे पूरी न हो गई हों या उन्मुक्त न हो गई हों ।

5. इसमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या दि- - - - - (बैंक) के संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी को प्रमाणित किए बिना आयातक और दि - - - - - (बैंक) पर लागू होने योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय समय के लिए स्थगित करें । उपर्युक्त मामले के संदर्भ में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आयात को या किसी अन्य स्थान जो दिया गया हो, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतंत्रता बरती जाने पर यह अपनी जिम्मेदारी से उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए नियम या सरकार की ओर से दी गई छूट या आयातक पर किए गए किसी तरह का अनुग्रह हो या और कोई मामला या बात चाहे जो भी हो, जो जमानतों से संबंधित. . . . . . . (बैंक) पर इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए ऊपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

6. अन्त में हम - - - - (बैंक) यह भार लेते हैं कि सरकार द्वारा लिखित रूप में परामर्श पाए बिना मुद्राकाल में इसकी गारंटी को रद्द नहीं करेंगे ।

7. हम - - - - - - (बैंक) सार्वजनिक सूचना सं. 15-आई टी सी/पी एन/72 दिनांक 28-1-1972 तथा सार्वजनिक सूचना सं. 108 आई टी सी/पी एन/72 दिनांक 21 जुलाई, 1972 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी की जाने वाली ऐसी ही सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार अतिरिक्त निक्षेप करने का भी वचन देते हैं ।

8. इस गारंटी के अन्तर्गत. . . . . .रुपये (इसमें ब्याज तथा अन्य अन्य प्रभार भी शामिल हैं, इसे गारंटी की धनराशि के 1% से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती) तर्क सीमित रखने की हमारी जिम्मेदारी है और यह गारंटी - - - - दिन - - - - मास - - - - 19 - - - तक लागू रखी जाएगी । जब तक इस गारंटी के अन्तर्गत 6 मास के भीतर लिखित रूप में मांगे पूरी नहीं कर ली जाती, और जब तक उसके बाद तक दूसरे 6 मास के भीतर जो. . . . . . . .तक होगी और उनकी मांगों के लिए मुकद्दमा या कार्यवाही लागू न हो जाए, इस गारंटी के अंतर्गत सरकार के सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे और हम लोग इसके अन्दर निहित सारी जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे ।

. . . . . .दिन व दिनांक

वास्ते. . . . . . (बैंक)

श्री. . .——— —. . . . .(नाम और और ओहदा) के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत

हस्ताक्षर - - - - - - - - -

यह तारीख उस तारीख में एक मास और जोड़ कर गिनी जाएगी जिस तारीख तक संभरकों को सभी भुगतान पूरा कर देने की संभावना है ।

टिप्पणी : स्टाम्प पेपर का मूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर द्वारा न्याय निर्णित किया जाना है ।

अनुबन्ध - 6

(इ ई सी-3)

संख्या एफ (14)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक:

सेवा में,

विकासशील देशों के लिए दि नीदरलैंड्स इन्वेस्टमेंट बैंक, दि हेग,

नीदरलैंड्स

लाख नीदरलैंड्स गिल्डर्स के ऋण के लिए समझौता

प्रिय महोदयगण,

प्राधिकारपत्र सं. . . . .

भारत को आपके बैंक द्वारा दिए गए ऋण में से भारत के सर्वश्री . . . . और हालैंड के सर्वश्री—— ——
के बीच वित्त युक्त किए जाने वाले सौदे के सम्बन्ध में अपने आज के आवेदनपत्र के प्रसंग में हम एतद्द्वारा निवेदन करते हैं और उपर्युक्त संविदा शर्तों के अनुसार
एम. जी. (नीदरलैंड्स गिल्डर) मात्र की धनराशि हालैंड में संभरक को चुकाने के लिए आपको बिना शर्त और बिना परिवर्तन के प्राधिकृत करते हैं। यह निवेदन किया जाता है कि संविदा की आवश्यकताओं के अनुसार डच संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए बीज, पोतलदान और अन्य दस्तावेज - - - - - - - - - - - - - - को सीधे भेज दिए जाए ।
(आयातक के बैंक)

संभरकों को विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड्स पूंजी निवेश बैंक को उस जिले के जिसमें निर्यातक स्थित है, नीदरलैंड्स व्यापार मंडल द्वारा जारी किए गए/प्रमाणित किए गए प्रमाणपत्र की इस सम्बन्ध में दो प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक है कि प्राधिकारपत्र के अन्तर्गत आने वाले माल नीदरलैंड मूल के हैं ।

कृपया नामे डालने की सूचना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (आर्थिक सहायता लेखा शाखा) जीवनदीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को अग्रसारित करें । यह प्राधिकारपत्र. . . . . - - - - -तक वैद्य रहेगा ।

कृते भारत का राष्ट्रपति
(   )

प्रतिलिपि - - - - - - - -

(आयातक के बैंक को)

उन्हें केवल यह सुनिश्चिय करने के पश्चात् ही आयातक को दस्तावेजों का अप्रक्राम्य सेट रिहा करना चाहिए कि आयातक ने निम्नलिखित धनराशि जमा कर दी है:—

(1) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-1976 में यथा निर्धारित और सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व

बैंक के मुद्रा नियंत्रणपरिपत्र के माध्यम से अधिसूचित तरीके से गणना की जाने के माध्यम से अधिसूचित तरीके से गणना की जाने वाली विनिमय की चालू मिश्रित दर पर डच गिल्डर में संभरक को समतुल्य रुपए का भुगतान:

(2) उपर्युक्तमद (1) द्वारा अदा की जाने वाली अपेक्षित धनराशि पर सार्वजनिक सूचना सं. 46-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9% की दर पर और 30 दिनों से अधिक होने पर 15% की दर पर गणना किया हुआ ब्याज, जिसकी गणना विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बैंक, एन. वी. वि हेग द्वारा संभरक को वास्तविक भुगतान की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली या भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में आयातक द्वारा समतुल्य रुपए के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की जाएगी।

अनुबंध - 7

संख्या- एफ-14 ( )ई ई सी -3/

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली

विषय :— सामान्य प्रयोजन डच क्रेडिट के अन्तर्गत की गई संविदा प्रतिपूर्ति

प्रिय महोदय,

सर्वश्री - - - - - - -

(भारतीय आयातक) ने

. . . (रुपए) . . . .

(रुपए) के मूल्य के लिए सामान्य प्रयोजन डच क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किये गए लाइसेंस सख्या दिनांक के मद्दे लागत बीमा-भाड़ा/लागत एवं भाड़े की - - - - - - - - --( ) धनराशि के लिए

के संभरण के लिए सर्वश्री

(विदेशी संभरक)

के साथ संविदा की है संविदा की एक प्रति संलग्न है।

2. ऊपर के रुपए की धनराशि में से भारतीय एजेन्ट के कमीशन के रूप में- - - - - - - - - ---- धनराशि भारतीय मुद्रा में अदा की जानी है। विदेशी मुद्रा में संभरक को अदा की जाने वाली धनराशि प्रथमतः मुक्त विदेशी मुद्रा स्रोतों में से अर्थयुक्त की जाएगी जिसकी बाद में . . . . - - - - - - धन राशि तक डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट में से प्रतिपूर्ति की जानी है।

3. आपको उनके बैंकरों अर्थात् सर्वश्री - - - - - - - - -

के माध्यम से सर्वश्री - - - - - - - - - - - - - - - - के नाम में इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर और वैध आयात लाइसेंस के मद्दे, सहायता लेखा एवं परीक्षा-नियंत्रक, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली को सूचना देते हुए एक साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

4. मुद्रा विनिमय नियंत्रण मैनुअल के खण्ड 7 पैरा 10 के अनुसार आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि साख पत्र की समाप्ति तिथि सम्बन्धित आयात लाइसेंस में यथा उल्लिखित पोतलदान के लिए अन्तिम तिथि के पैंतालीस (45) दिनों से ज्यादा नहीं है।

5. साख पत्र में भी प्रावधान होगा कि सर्वश्री
(विदेशी संभरक)

अपरक्राम्य पोतलदान दस्तावेज का एक सेट और बीजक की दो प्रतियां जो डच संभरक द्वारा इस प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित हो कि भुगतान उनके द्वारा प्राप्त हो गया है, सीधे ही सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, यू. सी. ओ. बिल्डिंग, संसद् मार्ग, नई दिल्ली को भेजेगा।

जिस जिला में निर्यातक है उस जिले के नीदरलैंड्स व्यापार मण्डल से साख पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल के नीदरलैंड्स मूल के होने के संबंध में जारी किए/प्रमाणित किए गए/इस साख पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल उद्गम के समन्ध में उचित समर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां भी प्राप्त करेंगे और नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रस्तुत करेंगे ।

6. आपको, यदि कोई हो तो बैंक खर्चों को छोड़कर बीजक/माल के पोतलदान के मद्दे आपके द्वारा सर्वश्री

को किए गए प्रेषक का एक प्रमाण-पत्र भी सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद् मार्ग, नई दिल्ली को भेजना होगा ।

7. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

( )

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

संविदा की प्रति के साथ प्रति इनकी प्रेषित:—

भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग, बम्बई-1

2. प्रति निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :—

(1) - - - - - - - - -

(भारतीय आयातक)

यह सुनिश्चय कर लिया जाए कि सर्वश्री

- - - - - - - - - -

(विदेशी बैंकर)

ने नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भुगतान बीजक की दो प्रतियां जिस पर संभरक द्वारा यह प्रमाण-पत्र विधिवत् पृष्ठांकित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के बारे में प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां भेज दी गई हैं ।

(सर्वश्री) - - - - - - - -

(विदेशी बैंक)

आप से यह अनुरोध है कि प्रत्येक आदायगी पर भुगतान बीजक सहित पोसलका और आय दस्तावेजों (अप्रकाम्य) का एक सेट बीजक की दो प्रतियां जिस पर सम्भरक द्वारा यह प्रमाण-पत्र विधिवत् पृष्ठांकित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के बारे में प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेज दी जाए ।

(3) नियंत्रक, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद् मार्ग, नई दिल्ली।

अनुबन्ध - 8

डच (सामान्य उद्देश्य) क्रेडिट के अन्तर्गत उपयोग के संबंध में त्रमासिक रिपोर्ट को प्रदर्शित करने वाला विवरण—

1. आयातक का नाम
2. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. दिए गए आदेश का मूल्य
5. प्राधिकार-पत्र की संख्या और दिनांक
6. प्राधिकार पत्र की धनराशि
7. प्राधिकार-पत्र की वैधता की तारीख
8. त्रैमासिक के दौरान उपयोग की गई धनराशि डच गिल्डर
9. उपयोग की गई कुल धनराशि डच गिल्डर
10. सरकारी खाते में जमा की गई कुल धनराशि रुपए
11. अगामी त्रैमासिकों के दौरान किया जाने वाला भुगतान
12. अभ्यर्पण, यदि कोई हो

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 8-ITC(PN)/81

New Delhi, the 28th February, 1981

Subject : Licensing Conditions pertaining to Dutch General Purpose Credit.

File No. IPC/23/(12)/81.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the Netherlands Government Credit for importers in both Private and Public Sectors as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 8-ITC(PN)/81, DATED : THE 28TH FEBRUARY, 1981

Conditions for Licensing Imports under The Dutch General Purpose Credit.

Section I—General

I(1) The Dutch General Purpose Credit from the Netherlands Investerings bank Voor Ontwikkelingalanden N. V. is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and commodities and services incidental thereto which are to be financed under the Credit can be imported from Netherlands and all countries enumerated in the list at Annex. I-A which will be the "eligible source countries" under the credit.

I(2) Components to the extent of 10 per cent in respect of chemicals and 20 per cent in respect of other imports from non-eligible source countries are also eligible for financing under the Credit.

I(3) Limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries in excess of the limit indicated in Section 1(2) may also be considered for financing under the credit. For this, specific approval of the Government of Netherlands will be necessary.

I(4) Except in cases where the Netherlands is the traditional or the only source for imports or where the value of imports is less than Df. 1.25 million, goods and services should normally the procured through Formal Open International Bidding. However, procurement even on the basis of tenders to prequalified suppliers or the tenders on restricted basis are also permissible in appropriate cases. Similarly, in certain cases involving proprietary items etc. purchases directly from a single supplier are permitted even if the value thereof exceeds Dfl. 1.25 million. The procurement guidelines prescribed for this purpose are given at Annex. II.

I(5) In the case of global tenders, advertisement either in the Indian Trade Journal or in the Indian Export Service Bulletin is required at the time the invitations to bid are issued, and three copies of the tender notice, as advertised are to be sent to the Netherlands Embassy, Shanti Path, New Delhi with a copy to the Department of Economic Affairs and a copy also to the First Secretary, Embassy of India, the Hague, the Netherlands. Invitations to bid shall list the eligible source countries (given in Annex. I-A) and shall set out the applicable rules of origin (given in Annex. I-B). A margin of preference, normally upto 15 per cent of the c.i.f. price of the lowest evaluated foreign bid, may be extended to local goods and services, provided the bidding documents set out clearly the arrangement for such preferential treatment. It is also to be ensured that the final date prescribed for submission of bids allows adequate time for all potential suppliers to obtain tender documents and file their bids. The tender documents should be made available promptly to the Embassy of India at the Hague, Netherlands (under intimation to the undersigned) for sale to potential suppliers from the Netherlands. In the case of other tendering methods also, these arrangements are to be followed to the maximum extent possible.

Section II—Issue of Import Licence :

II(1) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licensee should approach the licensing authority concerned, within the validity period of the licence, who shall consult the Department of Economic Affairs, (EEC. III Section) in the matter.

II(2) Firm order on CIF/C&F basis must be placed on the overseas suppliers in the Netherlands or the countries mentioned in the Annex. I-A and sent to the Department of Economic Affairs (EEC. III Section) within 4 months from the date of issue of the import licence or, where the imports are permitted under O.G.L., the date of issue of the foreign exchange sanction. If firm orders cannot be finalised within the time limit of 4 months, the Licensee should submit to the licensing or other concerned authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period, furnishing justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the marits of each case by the licensing or foreign exchange sanctioning authorities who may grant extension upto a further period of 4 months. If however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of import licence or foreign exchange sanction, such proposal should invariably be referred by the licensing authorities to

the Department of Economic Affairs (EEC. III Section), Ministry of Finance.

II(3) The licence will bear the superscription 'Dutch General Purpose Credit' and indicate the Public Notice number under which these licensing conditions are issued. The licence code for the first and second suffix will be "S" "NN". This licence code will be mentioned in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Reserve Bank at the time of rupee deposit.

II(4) As soon as the importer receives the import licence, he should send a report to that effect to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (EEC. II Section) along with the following information :—

(i) No. and Date of Import Licence,

(ii) Value,

(iii) Exchange rate, if any, indicated on Import Licence.

(iii) Exchange rate, if any, indicated on Import Licence.

(iv) Date by which copies of contract are expected to be furnished to Department of Economic Affairs.

Section III—Finalisation of Contract :

III(1) The minimum value of contract eligible for financing under the credit is Dfl. 25,000.

III(2) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract will be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

III(3) The term "Firm Orders" referred to in Section II(2) means purchase order placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

III(4) The CIF/C&F value of the contract should be expressed in Dutch Guilders in case of contract concluded with the Dutch suppliers and in the respective currency in case of contracts concluded with the suppliers in eligible source countries.

III(5) The contract must provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas suppliers.

III(6) The amount of Indian Agent's Commission included in the value of the contract should be specifically indicated. Any payment on this account, should be made in Indian rupees to the Agent in India. No remittance of foreign exchange will be permitted for this purpose. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

III(7) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

III(8) The following provisions should be specifically incorporated in the contract :

"(i) "the contract is subject to the approval of Government of India (if the value of the contract is Dutch Guilders 50,000 or below) and subject to the approval of both the Government of India and the Government of Netherlands (if the value of the contract exceeds Dutch Guilders 50,000).

(ii) This contract will be governed by the payment procedures laid down under the licensing conditions for the Dutch General Purpose Credit and will become effective after the Government of India's approval to this effect has been received."

(iii) "The goods are of Dutch origin/manufacture" (in case of suppliers in Netherlands)

or

"The goods are of.....origin/manufacture" (in case of suppliers in eligible source countries).

(iv) "For the goods to be imported from Netherlands, the suppliers will have to produce to the Netherlands Investment Bank, a certificate (in the prescribed form) in duplicate issued by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the supplier is established to the effect that the goods are of Netherlands origin. This certificate should be furnished along with the other shipping documents at the time of receiving payment." (A specimen of the certificate is at Annexure III).

In the case of supplier in eligible source countries the suppliers will have to produce to the Netherlands Investment Bank proof of origin of goods in accordance with the Rules of Origin. (Annexure I-B)"

III(9) For any customary performance guarantee, where required the suppliers should be asked to furnish a bank guarantee/warranty.

Section IV—Approval of contract by Government of India/ Netherlands Investment Bank.

IV(1)(a) Immediately after the contract is concluded, the importer should furnish 5 photostat or certified copies of the contract/supply orders accompanied by a photostat copy of the Import Licence if any or foreign exchange sanction to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (EEC. III Section). In case of contracts concluded with suppliers in eligible source countries, 9 copies of the same should be furnished. The importer is also required to furnish the information as per details in Annexure IV.

IV(1)(b) In the case of contracts concluded by companies and institutions other than Public Sector Undertakings and Government Departments, for imports from Netherlands, the importer should furnish a bank guarantee from an approved scheduled bank, in the form prescribed (Annexure V) duly adjudicated by the Collector of Stamps. The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the amount of contract for which letter of authority is sought plus interest and other charges. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue as prevailing on the date of issue of import licence or that indicated on the import licence.

IV(2) When the supply contract is based on formal open international bidding or formal selective International bidding, the following information should also be furnished :—

(i) Name of the publication in which tender notice was Advertised ;

(ii) Name of the parties who quoted against the tender enquiry ;

(iii) The reason for selecting a particular offer indicating whether it was the lowest technically suitable bid.

IV(3) If the contract documents, the request for issue of letter of authorisation and the import licence and bank guarantee, where necessary, are found to be in order, the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will forward copies of the contract to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hague for approval.

IV(4) (a) In respect of contracts valued at DG 50,000 or below, approval of Duch authorities is not required. The approval of the Government of India will be communicated to the Indian importers while forwarding the copies of their contracts/supply orders to the Dutch authorities.

(b) For contracts of value exceeding DG 50,000, as soon as the approval of the Dutch authorities to the financing of the contact under Dutch Credit is received, the importer will be informed that their contract has become effective.

Section V—Payment to the Suppliers.

(A) Payment to the Suppliers in Netherlands.

V(1) A Letter of Authority to the Netherlands Investment Bank for Developing Countries, The Hauge (in the form at Annexure VI) authorising payment to the suppliers against shipping documents will be issued and forwarded along with the copies of contract etc., to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hauge.

V(2) The validity of the Letter of Authority will be determined keeping in view the delivery schedule indicated in the contract. In no case will the Letter of Authority be made valid beyond the validity of the import licence.

V(3) Since the payments to the suppliers under the credit are generally made by the Dutch Bank against the production of Shipping documents, the grace period facility will not be applicable to imports financed under this credit.

V(4) In case the shipment/payments to the suppliers are not completed within the validity period of the Letter of Authority, the Importer should approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (EEC. III Section) for suitable extension of the Letter of Authority well before the expiry period of the Letter of Authority. Such a request should be accompanied with a photostat copy of the revalidated Import Licence, if the period of extension sought for is beyond the validity of the original Import Licence, and a letter from the bank extending the validity of Bank Guarantee, where necessary.

V(5) If the request for extension in the period of validity of the Letter of Authority is not received within a period of six months from the validity date of the Letter of Authority the un-utilised balance in the Letter of Authority will be deemed to have been surrendered and the Letter of Authority will stand lapsed automatically.

V(6) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Netherlands Investment Bank to the concerned importer's bank in India, which would be a branch of any of the nationalised banks who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the importer has deposited :

(i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers in Dutch Guilders at the prevailing composite rate of exchange to be calculated in the manner as prescribed in Chief Controller of Imports and Exports' Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-1976 and as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the C.C.I.&E. or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India ;

(ii) interest calculated at the rate of 9% per annum for the first 30 days and at 15% for the period in excess of 30 days in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976 on the amount required to be deposited vide item (i) above, reckoned from the date of actual payment to the supplier by the Netherlands Investment Bank for Developing Countries N.V., The Hague, to the date of actual deposit of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India, New Delhi.

V(7) It shall be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

V(8) The importers (including Public Sector Undertakings and Departments of the Central Government) should make the requisite rupee deposit only through Authorised Dealers in foreign exchange and also get the Exchange Control Copy of the Licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated the 30th August, 1968. The requisite 'S' form will be sent by the concerned bank to the Reserve Bank of India, Bombay.

V(9) The moneys specified in Section V(6) should be deposited only with the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi, or the Reserve Bank of India, New Delhi to the credit of the Central Government Account under the head of account—

"K—Deposits and advances—Deposit not bearing interest—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc. abroad—Purchases etc. under Dutch General Purpose Credit—Ministry of Finance (DEA)'s letter of authority No.————————Dutch Credit".

V(10) The advice of rupee deposits referred to above, should be sent to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi by enclosing original receipted treasury challan in the proforma prescribed under Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974, No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The information in regard to letter of Authority No., amount of foreign currency for which rupee deposit is made, date of payment to the Dutch supplier, amount of interest and period for which it is calculated should invariably be indicated in the challan form.

RE-IMBURSEMENT PROCEDURE

V(11) In case of import licences other than public sector undertakings/Government Departments where the value is below Rs. 1 lakh, the importer will have the option to adopt the Re-imbursement Procedure provided no payments are required to be withheld for performance etc. Under this system the importers will not be required to furnish the Bank Guarantee but their contract will have to indicate that the mode of payment will be by re-imbursement system. The importer will have to open a Letter of Credit on receipt of the approval of their contract by the Government of India. For this purpose a letter of Authority (Annexure VII) to the importer's Bank, as indicated by the importer, authorising opening a Letter of Credit on the suppliers' bank in Netherlands will be issued by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (EEC. III Section). Payments against the Letter of Credit will be made by the importer on the strength of the Exchange Control Copy of the Import Licence. Normally all shipments/payments to the suppliers should be completed within a period of 20 months from the date of issue of this said Letter of Authority. In case the shipments/payments to the suppliers are not likely to be completed within the period of twenty months, the Importer should invariably approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, EEC. III Section at least a month before the expiry of this stipulated period for the extension of the time limit for completing the shipments/payments to the Suppliers. This requtst should be accompanied with a photostat copy of the revalidated Import Licence covering the period of extension sought for. If such a request is not received before the stipulated period, the un-utilized balances of their contract will be deemed as having been surrendered. The importer will furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Parliament Street, New Delhi-110001, within 15 days of the shipment of goods a certificate from his Bank of payment made to the supplier and also two copies of the invoice bearing a certificate from the Dutch supplier to the effect that "he received a sum of———— Dutch Guilders amounting to 100 per cent of the invoice value or shipment of goods." He will also ensure that two copies of the certificate in regard to origin of goods referred to in Section III(14)(iv) are furnished by the supplier to the Controller of Aid Accounts and Audit within the stipulated period of 15 days of the shipment of goods. Any omission on the part of the importers to send the reimbursement documents promptly to the Department of Economic Affairs will be viewed seriously and the C.C.I.&E. may be asked to suspend all import licences in the name of the importer. In case the importer persists in his default his case may be recommended to the C.C.I.&E. for being blacklisted. The importer will in addition be liable to penalties/punishment under the law governing Import Control etc. In case the importer decides to adopt the reimbursement procedure, he should furnish 9 photostat/certified copies of the contract while seeking approval of his contract by Ministry of Finance. The Bank Guarantee need not be furnished in such cases.

B. Payment to the suppliers in Eligible Source Countries.

V(12) A Letter of Authority (in form at Annex. VII) to the Importers' Bank, as indicated by the Importer in his application authorising opening of a Letter of Credit on the suppliers' bank in the eligible source country in favour of the supplier will be issued by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (EEC. III Section). Copies of the contract along with a copy of the said Letter of Authority will be forwarded to the Dutch authorities also through the Embassy of India at the Hague.

V(13) On receipt of the Letter of Authority mentioned in the preceding paragraph, the Importer's Bank will open a Letter of Credit in favour of the supplier through his banker within a period of 30 days from the date of issue of the said Letter of Authority and against a valid import licence.

if any. An intimation to this effect shall be forwarded to the Controller of Aid Accounts and Audit, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi.

V(14) After the payment to the supplier is made the supplier's bank shall forward to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents and two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by the latter.

V(15) The supplier's bank will also obtain from supplier and furnish to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, a certificate or proof (in duplicate) in regard to the origin of the goods being in accordance with the Rules of origin appended to the "Guideline for Procurement of Goods and Services."

V(16) The importer should forward to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, a certificate of remittance made by them to the supplier against the invoice/shipment of goods excluding bank charges, if any. This certificate should be obtained from the bank through which the Letter of Credit is opened. The importer should also ensure that one set of non-negotiable shipping documents and two copies of invoice with a certificate duly endorsed thereon in regard to receipt of payment by supplier and certificate of origin, referred to in Sections V(13) and V(14) are forwarded to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Controller of Aid Accounts and Audit within 15 days of the shipment of goods.

V(17) Payment against the Letter of Credit will be made by the importer on the strength of the Exchange Control Copy of the Import Licence.

V(18) Normally all shipments/payments to the Supplier should be completed within a period of 20 months from the date of issue of the Letter of Authority referred to above. In case the shipments/payments to the suppliers are not likely to be completed within the period of 20 months, the Importer should invariably approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (EEC. III Section) at least a month before the expiry of this limit for completing the shipments/payments to the Suppliers. This request should be accompanied with a photostat copy of the revalidated Import Licence covering the period of extension sought for. If such a request is not received before the stipulated period, the un-utilised balances of the contract will be deemed as having been surrendered.

V(19) Any omission on the part of the importer to send the reimbursement documents promptly to the Department of Economic Affairs will be viewed seriously and the C.C.I.& E. may be asked to suspend all import licences issued in the favour of the importer. In case the importer persists in his default, his case may be recommended to the C.C.I.&E. for being blacklisted. The importer will, in addition, be liable to penalties/punishments under the law governing Import Control etc.

V(20) On receipt of the reimbursement documents, Controller of Aid Accounts and Audit in the Ministry of Finance, will make a request to the Netherlands Investment Bank for reimbursement of the amount paid to the supplier in the eligible source countries. The Netherlands Investment Bank will reimburse the equivalent amount in Netherlands guilders at the rate of exchange prevailing in the Netherlands on the date of such reimbursement.

Section VI : Miscellaneous :

VI(1) The importer should furnish a quarterly report, as in Annex. VIII showing the utilisation, status of the licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (EEC. III Section).

VI(2) It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the supplier. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment could be effected to him must be clearly spelt out by the importer in Annex. IV. If necessary, a provision dealing with settlement of disputes may be included in the contract itself.

VI(3) The licensee shall promotly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to import licence and for meeting all obligations under Dutch General Purpose Credit.

VI(4) Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

Annex. I-A

List of eligible source countries for united bilateral loans to developing countries.

A. Netherlands

B. Africa

North of Sahara

Algeria
Libyan Arab Rep.
Morocco
Tunisia
Egypt

South of Sahara

Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Cango (People's Rep. of)
Zaire Rep.
Dahomey
Ethiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Nigar
Negeria
Reunion
Rwanda
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Terr. Afars and Issas
St. Helena and dependencies
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Uganda
Upper Volta
Zambia

America

North and Central

Bahamas
Barbados
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemola
Haiti
Honduras
Honduras (Br.)
Jamaica
Martinique
Mexico

Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre et Miquelon
Trinidad et Tobago
West Indies (Br.)

South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Falkland Islands
Guyana
Guiana (Fr.)
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela

Asia

Middle East

Bahrein
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Yemen (People's DR)
Syrian (Arab. Rep.)
Unit. Arab Emirates
Yemen (Arab. Rep.)

South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

Far East

Brunei
Khmer Rep.
Hong Kong
Indonesia
Korea (Rep. of)
Korea (People's Dem. Rep. of)
Laos
Macao
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Timor
Vietnam (Rep. of)
Vietnam (Dem. Rep. of)

Oceania

Fiji
Gilbert and Ellice Islands
French Polynesia
New Caledonia
New Hebrides (Br. and Fr.)
Pacific Islands (US)
Papua New Guinea
Solomon Islands
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

Europe

Turkey
Portugal

Annex. I-B

Rules of Origin

1. The subject items of these rules of origin shall be goods and services produced in the eligible source countries.

2. In the case of goods, assessment of the Netherlands origin shall be subject to the legislation in this field which prevails in the European Community.

3. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 2 shall be furnished by means of a certificate of origin, issued by a Chamber of Commerce in the Netherlands.

4. In the case of goods, assesment of origin in developing countries shall be subject to the rules of origin which are established by the European Community in the framework of the General System of Preferences.

5. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 4 shall be furnished by means of a Certificate of Origin, Form A (as in use by the General System of Preferences), issued by an official authority in the developing country.

6. In the case of services (cf. paragraph 1 of the Guidlines), origin shall be assessed, on an ad hoc basis, in mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

7. In cases where the Rules of Origin cause substantial problems or serious economic damage to the borrower country (e.g. an over-tight restriction of the number of potential suppliers), deviations from these rules may be permitted, but only after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

Annex. II

Guidelines for Procurement of goods and services under bilateral development loans by the Netherlands.

A. General

1. These guidelines govern procurement of goods and services under bilateral loans which form part of the official Netherlands Development Aid Programme. These loans are untied in respect of developing countries. A list of eligible source countries is attached as Annexure I-A. The recipient country is included in this list. The Netherlands Government may agree, on an individual basis, to limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries, with transportation and insurance costs included.

2. The Netherlands Government must be satisfied that the proceeds from the loans are to be used with due care being given to economy, efficiency, fairness in international competition and non-discrimination among eligible source countries, in accordance with the procurement procedures set out in these guidelines.

3. Except in the cases mentioned in paragraphs 16 and 17, no practices shall be allowed, which could lead to, or result in a particular supplier or the suppliers of a particular country being favoured.

4. The rules of origin and control to be observed by the borrower in the procurement of goods and services, are attached to these guidlines as Annexure I-B.

5. Where the borrower does not effect direct procurement, he shall make such arrangements as are necessary to ensure that the purchaser complies with these guidelines.

6. (1) The borrower shall obtain goods and services through formal open international bidding except in the following cases :

(a) where the Netherlands is the traditional or the only source for imports;

(b) where the value of imports is less than Dfl. 1.25 million; or

(c) where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the borrower on another more expedient procedure must be reached before suppliers are invited to submit their bids, such agreement to be reached on the basis of all relevant information to be supplied by the borrower through the Royal Netherlands Embassy.

6. (2) Where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only, the borrower shall have the option to confine bids to the Netherlands only or obtain bids from the Netherlands as well as the eligible source countries. In such cases article 30 of the Guidelines along with articles 31-33 or article 30 along with articles 34-38 are applicable.

7. These guidelines, together with the Rules of Origin and the list of eligible source countries, are subject to amendment by the Netherlands Government.

B. Procedures for Formal Open International Bidding

8. At the time invitations to bid are issued, the borrower (or the purchaser on the borrower's behalf) shall advertise the bidding in at least one of the following two publications :

Indian Trade Journal

Indian Export Service Bulletin

The importer shall send three copies of the tender notices as advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin, to the Embassy of the Netherlands in India.

9. In order to foster widespread competition, individual contracts for which bids are invited should, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis. On the other hand, if it is possible from a technical and administrative point of view to divide a project into contracts of a specialized nature and such division is likely to be advantageous to the borrower and/or to allow brader international competitive bidding the project should be divided. Single contracts for engineering, equipment and construction work (commonly known as "Turn-key contracts") may be desirable if they offer overall advantages to the borrower country within the technical and economic facilities available.

10. Formal prequalification may be desirable, in particular for civil works contracts. If prequalification is used, it shall be based entirely upon ability to perform satisfactorily, taking into account (i) the firm's previous experience in similar types of work, (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial position and integrity. Advertisement of the prequalification procedure shall be carried out in accordance with the procedure described in paragraph 8. Condensed specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for prequalification. When prequalification is applied, all firms which fulfil the conditions for prequalification shall be permitted to bid.

11. Bidding documents shall be prepared in one of the languages customarily used in interational transactions and shall unless prohibited by law specify that the text of the documents in that language is governing.

12. Specifications shall set forth as clearly and precisely as possible the work to be carried out, the goods and services to be supplied and the place of delivery of installation. Drawings shall be consistent with the text of the specifications; where they are not, the text shall govern. The specifications shall state the principles of evaluations and comparison of bids, which will be taken into account when evaluations are made and bids are compared. The specifications shall be worded in such a way as to permit and encourage free and full international competition.

Any additional information, clarification or correction of errors and alterations of specifications and invitations to bid shall be communicated promptly to those who requested the orlginal bidding documents.

13. If national standards are cited to which equipment or material must comply, the specifications shall state that goods meeting other internationally accepted standards, which demand an equal or better quality than the standards mentioned, will also be accepted.

14. Specifications shall be based on performance and potential and should only prescribe registered brand names, catalogue numbers or products of a particular manufacturer if particular spare parts are required or if it has been decided that a certain amount of standardization is necessary to maintain certain essential quality factors. In the last case the specifications shall permit offers of alternative goods which have similar characteristics and whose performance and quality are of a level at least equal to those specified.

15. Invitations to bid shall list the eligible source countries and shall set out the rules of origin applicable.

16. Quotations shall be examined on the basis of strict equality of conditions among suppliers from eligible source countries (including the evaluation of quotations for material and equipment at prices free of customs tariffs and other duties and taxes of like effect). The borrower country, however, is authorized, in the evaluation and comparison of bids to supply goods and services, excluding transport costs, to extend a margin of preference to local goods and services and to products from other eligible source countries which are members of the same regional economic group, consistent with GATT, or which intend to establish such a group, over goods and services originating in other eligible source countries. This margin of preference shall not exceed 15 per cent on the CIF price of the lowest evaluated foreign bid or the existing level of customs duties of the bidder's country, whichever is the lowest.

17. In special cases, the borrower may, after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrowing country, extend a limited margin of preference to local and regional manufacturers, consistent with GATT, in addition to the margin of preference, mentioned in paragraph 16. In assessing the level of preference, dut attention should be given to factors like the degree of national or regional ownership and management and the registration in the borrower country or the regional economic group of these manufacturing firms.

18. Bidding documents shall set out any preferences agreed upon and specify the manner in which they will be applied in the evaluation and comparison of bids.

19. Bidders shall be given adequate time in which to submit their bids.

20. The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening shall be announced in the invitations to bid and all bids shall be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time shall be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted shall be read aloud and recorded.

21. No bidder shall be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but shall not ask any bidder to change the substance or price of his bid.

22. Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards shall be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures on the side of either the borrower or the Netherlands Government before the annoucement of the award of a contract to the successful bidder.

23. After the opening of the bids, the purchaser shall examine the bids in order to ascertain whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the requirements of the bidding documents, whether the required guarantees and sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications or contains inadmissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it shall be

rejected. A technical analysis together with a detailed assessment monetary terms shall then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

24. Invitations to bid may state that the purchaser reserves the right to reject all bids when none are responsive to the intent of the specifications, when there is evidence of lack of competition, or when the low bids exceed the cost previously estimated by an amount sufficient to justify such action. If all bids are rejected, the borrower may, after consultation with the Netherlands Government, enter into negotiations with one or more of the lowest bidders to ascertain the causes for such events and the reasons for the difference between the low bid and the cost estimates. Negotiated contracts reflecting changes in the specifications, leading to economies in the estimated cost of the project, may by acceptable, provided the changes do not substantially alter the nature of the project. Where changes are substantial, rebidding may be appropriate. This shall at all times be approved by the Netherlands Government.

25. Evaluations of bids shall be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents and in any modifications thereto prior to the closing date for submission of bids. For the purpose of determining the lowest evaluated bid, commercial factors other than price, such as the time of completion of construction or other work, the efficiency and reliability of the equipment, the time of its delivery and the availability of service and spare parts, shall also be taken into consideration and shall, to the largest possible extent, be expressed in monetary terms. The currencies in which bid prices would have to be paid shall be valued, for bid comparison purposes only, on the basis of rates of exchange published by an official source and applicable to similar transactions at the closing date of the bidding.

26. The award of a contract shall be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid, taking into account the factors mentioned in the preceding paragraphs.

27. The Netherlands Government shall, upon request, be given adequate opportunity to present its comments and recommendations on all phases of procurement. After the award of contract, the Netherlands Government shall be provided with (copies of) all relevant documents and other information necessary for the evaluation of the use of the loan.

C. Procurement Procedures other than Formal Open International Biding.

28. In the cases mentioned in paragraphs 29 and 30, the procurement formulae of paragraphs 31-39 may be applied in accordance with paragraph 6.

29. Standardization—Where the purchaser has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.

30. Limited Number of Qualified Suppliers—In cases where, because of the nature of the procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers.

31. Formal Selective International Bidding—Under formal selective international bidding the purchaser is authorized to invite bids from only a limited number of (pre) qualified suppliers known to be able to meet the special requirements of the procurement in question.

In such cases the borrower should ascertain that no potential qualified supliers have been excluded. The Ministry of Finance (Deparment of Economic Affairs), Government of India shall provide all necessary information as and when asked for by potential suppliers of eligible source countries to enable them to participate on an equitable basis.

32. The suppliers are to be selected exclusively on the basis of their qualifications and are, as far as possible, to be chosen from several eligible source countries including the Netherlands.

33. All provisions of formal, international bidding, other than those of paragraph 8, are to be fully applied.

34. Informal International Competitive Procurement.—If procurement is not through the formal competitive bidding procedures, it should be made in accordance with good commercial practice and without discrimination among eligible source countries.

35. The importer should give wide and timely publicity to the intended use of informal international competitive procurement. The Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all information necessary to permit suppliers of eligible source countries to participate on an equitable basis as and when such information is asked for.

36. The time allowed for the preparation of quotations and offers shall be governed by the nature of the contracts involved. Both lead time and delivery schedules shall be long enough to allow meaningful international competition.

37. The Netherlands Government may require the purchaser in particular cases to supply information on the purchases made, including full details concerning how quotations were obtained, the suppliers who are involved and the quotations received.

38. The guidelines for formal open international bidding should be applied to the fullest possible extent as appropriate.

39. Single Supplier.—The purchaser is permitted to purchase directly from a single supplier in one of the following cases :

(i) procurement by a commercial importer involves a registererd brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer ;

(ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end product for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer;

(iii) in order to assure interchangeability of parts or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source;

(iv) the purchaser is a manufacturer whose equipment and raw material formulae are designed for best utilization with a specific type of raw material which can only be obtained from one source ;

(v) the purchaser wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement, takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made ;

(vi) the value of a transaction is less than Dfl. 1.25 million.

D. Gnidelines for the Use of Consultants

40. Consultant firm employed should be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and bid documents prepared by them should be free of national, commercial or industrial bias, and can be complied with on a competitive basis. In considering local consultant firms, due attention should be given to factors like the degree of national ownership, management and personnel and registration.

41. Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However, in the process of selection, borrowers should consider a reasonable number of prospective firms, which can be expected to render competent and independent services from several eligible source countries. This list shall be bases on prequalification, taking into account :

(i) the firm's previous experience in similar types of work ;

(ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant ; and

(iii) its financial position and integrity.

It is desirable that, before invitations for proposals are sent out, the borrower submits the list of prospective firms to the Netherlands Government. The Netherlands Government reserves the right to reject the choice of a consultant, and may, furthermore, on the basis of her knowledge of the consultancy sector in the Netherlands, suggest that this list is extended.

E. Grievances

42. The borrower shall make provision for the hearing and investigation of complaints arising in connection with the invitations to bid, the submission of bids and the award of contracts.

43. In the case of purchases conducted under formal international bidding procedures complaints of any substance, regarding restrictive commodity specification or other restrictive terms of the invitation, made prior to the bid closing date, shall be resolved before the opening of bids. If necessary and only after consultation with the Netherlands Government, the bid closing date may be postponed for an appropriate period.

44. When a complaint has been made by one of the supplies concerned, the documentation relating to the substance of the complaint and action taken thereon shall be available for examination by the Netherlands Government, as well as by the borrower.

Annex. III

DUTCH CREDIT

CONTRACT CERTIFICATE

Particulars of contract

Indian Import Licence No.....

1. Number and Date of the Contract.....
2. Description of goods or services to be supplied to the purchaser.....
   (If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate).
3. Total contract price payable by purchaser (State CIF, C&F or FOB), Dfl.....
   (IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED)
4. Estimated % of the FOB value of the goods not originating in the Netherlands but purchased by the supplier direct from abroad i.e. % of imported raw material or components used in manufacture.
   (a) % FOB value.....
   (b) Description of items and brief specification.....
5. IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED.
6. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by
   (a) Your firm (Site engineers charges, etc.).....
   (b) Local supplier.....
7. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 4 & 5 above.....
8. I hereby declare that I am employed in the Netherlands by the Supplier named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of Netherlands origin will be supplied by the supplier other than those specified in paragraph 4 & 5 above.

Signed.....
Position held.....
Name and address of Supplier.....
Date.....

Certified

Netherlands Chamber of Commerce.....District.

Annex. IV

(a) Name and address of the Indian importer and/or Project authority where necessary.

(b) Name and address of the supplier. In case of suppliers in Eligible Source Countries, the following information should also be furnished—
   (i) Nationality.
   (ii) Percentage of the shares held by national of the eligible source countries.

(c) (i) No. and date of Import Licence.
   (ii) Value.

(d) (i) Name and address of the supplier's Bank in the Netherlands/Eligible Source Country.
   *(ii) The Importers' Bank in India (which will be the bank that has furnished the Bank Guarantee).
   **(iii) The importers' Bank in India which will be responsible to make rupee deposits in Government account before releasing shipping documents to the importer.

(e) Value of the contract order in Dutch Guilders or the currency of the Eligible Source Country.

(f) Method of Procurement whether it is based on direct purchase or Formal Open International Bidding or Selective Formal International Bidding, in *which* case it should be indicated whether the contract has been entered into on the basis of the lowest technically suitable offer, with reasons, if any.

(g) Short description of goods to be imported.

(h) Origin of Goods—percentage of imported components from non-eligible source countries, if any.

(i) Expected date of completion of deliveries.

(j) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(k) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading, Invoices, Certificate of Origin, etc., which the Netherlands Investment Bank for Developing Countries or the Suppliers' Bank in Eligible Source Country should demand from the suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required.

(l) Indian Agent's commission, if any, included in the contract (exact amount to be indicated), which will have to be deducted from the contract value while issuing a Letter of Authority. Such commission will be payable by the Importers direct to the Agents in rupees.

(m) Value of which the Letter of Authority is requested.

(n) Number, date and value of Bank Guarantee, indicating the period upto which it is valid.

(o) Special instructions, if any.

*for Private Sector.

**Public Sector

Annex. V

GUARANTEE BOND

(To be furnished by Banks under the procedure for the import of goods under the Dutch General Purpose Credit).

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Dutch Guilders for the import of ..... by.....(hereinafter called the Importer) against he import licence number ..... dated .. .. issued under the terms and conditions of the Dutch General purpose Credit and in pursuance of Import in favour of the importer against the above-mentioned agreement, we..... (Bank) at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amounts of the disbursements made by the Netherlands Investment Bank for Developing Countries.

The Hague nominated by the importer converted at the prevailing composite rate of exchange calculated as per Public Notices issued by the Government in the matter from time to time *within ten days* ofthe receipt of advice of payments for credit to the Government account, in the manner and against the appropriate Head of Account as indicated by Government of India, under the said Credit together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof (as prescribed in Public Notice No. 46-ITC(PN)/76, dated the 16th June 1976) reckoned from the date of payment to the Dutch supplier to the date of payment of rupee equivalent for Credit to the Government Account. The negotiable set of import documents received from the Netherlands Investment bank for Developing Countries. The Hague will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We the——(Bank) also undertake to indemnify and keep indemnified the Govt. against any default in payment by the Importer of any sum that may be due and payable from time to time by the Importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct such sums not exceeding Rs. ..... or any part thereof for the time being due and payable by the Importer, together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof (vide Public Notice ibid) reckoned from the date of payment to the Dutch Supplier to the date of actual deposit of the rupee equivalent into Government account. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us .....(Bank), shall be final and binding on us .....(Bank).

3. We .....(Bank), further agree that in case of increase in the value of import or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place in proportion to this change.

4. We ..... (Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importer or the .....(Bank), and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and the .....(Bank), shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the Importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the .....(Bank) from its such liability.

6. We .....(Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government, in writing.

7. We .....(Bank) hereby undertake to make additional deposits in terms of Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 and such other Public Notices that may be issued from time to time hereafter.

8. Our liability under this guarantee is restricted to Rs. ... .(plus interest and other charges, if any, not expected to exceed one per cent of the guarantee amount) and this guarantee shall remain in force till the ..... day* of .....(month), 19.....) Unless claims under this guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto ....., all Government's rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the .....day of .....

For .....(Bank).

Accepted for and on behalf of
the President of India by

Shri .....
(Name & designation)

Signature.....

*This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments to the Suppliers are expected to be finalised.

Note :—The value of the stamped paper on which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps act.

Annex. VI

No. F. 14( )-EEC III/

Government of India (Bharat Sarkar)
MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)
Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag)
New Delhi,

To

The Netherlands Investment bank for Developing Countries, The Hague, Netherlands.

Agreement for the loan of million Netherlands Guilders—Request for direct payment

Dear Sirs,

LETTER OF AUTHORITY NO.

With reference to our application of today's date as to the financing of the transaction between M|s. .. .., India and M|s. ...., Holland, out of the loan made by your Bank to India, we hereby request and authorise you unconditionally and irrevocably to pay in accordance with the terms and conditions of the above mentioned contract to the supplier in Holland the amount of N.G. .....(Netherlands Guilders ....).

It is requested that the invoices, shipping and other documents presented by the Dutch supplier in accordance with the requirements of the contract be despatched direct to the ..... .
(Importer's Banker).

The suppliers will also be required to furnish to the Netherlands Investment bank for Developing Countries a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the exporter is established regarding the Netherlands origin of the goods covered under the Letter of Authority.

Kindly forward the debit advice to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid (Accounts) Branch, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi. This Letter of Authority will remain valid upto ..... .

For the President of India,

Copy to .....
(Importer's Bank)

They should release the negotiable set of documents to the importer only after ensuring that the importer has deposited :

(i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers in Dutch Guilders at the prevailing composite rate of exchange to be calculated in the manner as prescribed in Chief Controller of Imports & Exports's Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 and as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the CCI&E

or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India ;

(ii) Interest calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent for the period in excess of 30 days in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)|76 dated 16-6-1976 on the amount required to be deposited *vide* item (i) above, reckoned from the date of actual payment to the supplier by the Netherlands Investment Bank for Developing Countries N.V., The Hague, to date of actual deposit of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India, New Delhi.

Annex. VII

No. F. 14(   )-EEC. III|

Government of India (Bharat Sarkar)

MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)

Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag)

New Delhi, the

To

Subject.—Contract entered under General Purpose Dutch Credit—Reimbursement.

Dear Sirs,

Messrs.——————————————

(Indian importer)

have entered into a contract with Messrs. ——————

(Foreign supplier)

for the supply of ——————————

for the amount of ——————————

——————————) C. I. F.| C and F against Licence No. ——————— dated ——————— issued under the Dutch General Purpose Credit for the value of Rs. ——————— (Rupees ——————

A copy of the contract is enclosed.

2. Out of the above amount of ——————an amount of ——————is to be paid as Indian Agents' Commission in Indian currency. The sum to be paid to the supplier in foreign currency which will be financed initially out of the free foreign exchange resources, to be reimbursed later out of the Dutch General Purpose Credit, therefore, amounts to ——————.

3. You are authorised to open a letter of credit in favour of Messrs. —————————————— through their bankers. *viz.* Messrs. ——————————

within a period of thirty days from date of this letter and against a valid Import Licence, under intimation to the Controller of Aid Accounts and Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

4. In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of the expiry of the letter of Credit is not later than forty-five (45) days after the final date for shipment as stated in the relative import licence.

5. The letter of credit will also provide that Messrs.——————

(foreign banker)

will forward directly to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents and two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the Dutch Supplier that the payment has been received by the latter.

They will also obtain from the suppliers and furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the exporter is established regarding the Netherlands origin of the goods covered under the Letter of Credit/*issued by the appropriate competent authority in regard to the origin of the goods covered under the Letter of Credit.

6. You are also required to forward to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi a certificate of remittance made by you to M/s. ——————————

against the invoice/shipment of goods, excluding Bank charges, if any.

7. Receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

*To be deleted if not applicable.

Copy with a copy of the contract forwarded to .—

Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Bombay-1.

2. Copy also forwarded for information to .—

(i)——————————

(Indian importer)

It may be ensured that M/s.——————————

(foreign banker)

forward one set of shipping and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him, and two copies of certificate in regard to origin of goods to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(ii) M/s. ——————————

(foreign bank)

It is requested that on each payment, one set of shipping and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him and two copies of certificate in regard to origin of goods may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, CO Bank Building Parliament Street, New Delhi.

(iii) Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

Annex. VIII

STATEMENT SHOWING QUARTERLY REPORT ON UTILISATION UNDER DUTCH (G.P.) CREDIT

1. Name of Importer.
2. No. and date of Import Licence.
3. Value of Import Licence.
4. Value of orders placed.
5. Letter of Authority No. and date.
6. Amount of Letter of Authority.
7. Date of Validity of Letter of Authority.
8. Amount utilised during the Quarter D.G.
9. Total amount utilised D.G.
10. Total Amount deposited into Government Account. Rs.
11. Payment yet to be made during the subsequent quarters
12. Surrenders, if any.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981